राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 के कार्यवृत्त की विषय सूची।

क्र0सं0	मद संख्या	विषय
1	1	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 का पुष्टिकरण।
2	2	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी परमिटों में पारित आदेशों का अनुमोदन।
3	3	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) के प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/ उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन।
4	4	रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाडी परमिट संख्या–पीएसटीपी–4 में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन।
5	5	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–15 में समस्त भारतवर्ष एवं उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन अवधि में समाप्त स्वीकृत पत्रों के समय बढ़ाते हुये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।
6	6	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा व्यवसायिक वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम, वाहन चालक का लाईसेन्स पांच वर्ष पुराना होने, चालक केबिन में पार्टीशन होने एवं वाहन में लकड़ी का गुटका होने की शर्त हटाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार तायल, तायल टूर एण्ड ट्रैवल्स, हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश के प्रत्यावेदन दिनांक 08–04–2010 पर विचार व आदेश।
7	7	व्यवसायिक वाहनों के वर्तमान में लागू यात्री किराये एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने से

		सम्बन्धित विभिन्न वाहन यूनियनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार व आदेश।
8	8	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के संचालन के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2001 में निर्धारित मापदण्डों में संशोधित करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–641 / स0प्रशा0 / यात्रा–2010 / 2010 दिनांक 29–05–2010 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार व आदेश।
9	9	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर के टनकपुर–ग्वालियर वाया बरेली–आगरा मार्ग हेतु प्राप्त स्थायी सवारी गाडी परमिटों के आवेदन पत्र दिनांक 24–05–2010 पर विचार व आदेश।
10	10	रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाडी परमिट संख्या–पीएसटीपी–4 में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन।
11	11 परिशिष्ट–'क'	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'ख'	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
12	12 परिशिष्ट–'ग'	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'घ'	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
	परिशिष्ट–'च'	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
13	13 परिशिष्ट–'छ'	देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग हेतु प्राप्त स्थाई सवारी गाडी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।
14	14	देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के क्रमशः बैठक दिनांक 28–02–2009 एवं 23–10–2009 में स्वीकृत क्रमशः परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 व 1487 के नवीनीकरण के समय बढाने के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।
15	15 परिशिष्ट–'ज'	राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग / ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की

		धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने विषयक 18 मामलों पर विचार व आदेश।
16	16	अन्य मद, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड़।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 में पारित आदेशों का अनुपालन निम्नवत् किया गयाः–

1– मद संख्या–01 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–1 के अन्तर्गत दिनांक 03–11–2008 की कार्यसूची के मद संख्या–1 से 15 तक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिनिधायन के अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेश, समस्त भारतवर्ष व उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब, मोटरकैब, ठेका बस के आवेदन पत्रों के स्वीकृत करने के सम्बन्ध में परिचालन विधि से पारित आदेश, अपील संख्या–26 से 29 ऑफ 2008 में पारित आदेश, किच्छा–खटीमा–मेलाघाट बस का अस्थायी मार्ग विस्तार, खटीमा–चारूबेटा–जमोर–पौलीगंज तक करने, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–1547/2007, 1499/2007 व 1618/2007 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2008, समस्त भारतवर्ष के मोटर/मैक्सी कैब, ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर विचार, समय बढ़ाने के प्रार्थना पत्र, विलम्ब से प्राप्त नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र, धारा–86 के मामले, परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के मामले एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत हस्तान्तरण के मामले एवं देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी के प्रार्थना पत्र, नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र एवं रामनगर–बद्रीनाथ मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी के प्रार्थना पत्र सम्मिलित थे।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 28–02–2009 के संकल्प संख्या–01 में पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया है।

2– मद संख्या–02 में मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–87, 88(8) तथा 88(9) के अन्तर्गत जारी सवारी गाड़ी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों के अस्थाई/नवीनीकरण परमिटों के प्रार्थना पत्रों, अर्न्तराज्यीय मार्गों पर राजस्थान, पंजाब (चन्डीगढ़), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के परिवहन निगमों की वाहनों के अस्थाई परमिट प्रतिहस्ताक्षर एवं उत्तर प्रदेश के स्थाई जनभार वाहनों के प्रतिहस्ताक्षर के प्रार्थना पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 16–02–2009 से 30–09–2009 तक जारी किये गये आदेशों के मामले सम्मिलित थे, जिनका अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प संख्या–02 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी नियमावली–1998 के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 23–10–2009 की बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मद में जारी किये गये सभी प्रकार के परमिटों के आदेशों का अनुमोदन किया गया।

3– मद संख्या–03 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों के मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–82(1) में दिये गये प्राविधानानुसार परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुमोदन किया जाना सम्मिलित था।

संकल्प संख्या–03 में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–82(1) में दिये गये प्राविधानानुसार मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

4– मद संख्या–04 में रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–04 के नवीनीकरण के मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प संख्या–04 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने सचिव को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–04 के नवीनीकरण के

मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुमोदन किया गया।

5– मद संख्या–05 के अन्तर्गत सर्व श्री विवेक शर्मा, अजय गोयल एवं अशोक कुमार कम्बौज के प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 में स्वीकृत परमिट का समय बढ़ाने के आदेश दिनांक 18–05–2009 एवं 25–09–2009 का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प संख्या–05 में आदेश दिनांक 18–05–2009 एवं 25–09–2009 का अनुमोदन किया गया।

6– मद संख्या–06 में श्रीमती सीमा गर्ग को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 में स्वीकृत देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) मार्ग के स्वीकृत सवारी गाड़ी परमिट का समय बढ़ाने के मामले में एस0टी0ए0(टी0) द्वारा अपील संख्या–14/2009 एवं 15/2009 में पारित आदेशों का अनुपालन का मामला था।

संकल्प संख्या–06 में मा0 एस0टी0ए0(टी0) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत परमिट का समय बढ़ाकर प्रश्नगत मार्ग पर उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया है।

7– मद संख्या–07 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 के प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्राप्त 09 आवेदन पत्रों को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–07 में प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80(1) में दिये गये प्राविधानानुसार मद में उल्लिखित 09 प्रार्थियों को सम्बन्धित मार्ग के एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किये गये।

8– मद संख्या–08 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परिवहन निगम को दिनांक 09–11–2000 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध

संकल्प संख्या–08 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य

में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र दिनांक 15–09–2009 पर विचार किया जाना था।

9– मद संख्या–09 मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून, नैनीताल एवं टनकपुर के उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड अन्तर्राज्यीय मार्ग होकर जाने वाली सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के मामले पर विचार किया जाना था।

10– मद संख्या–10, 11 व 12 में क्रमशः मंगलौर–लखनौती–हरिद्वार–बी0एच0ई0एल0 मार्ग, रूड़की–मुजफ्फरनगर वाया भगवानपुर–सहारनपुर–देवबन्द मार्ग एवं मंगलौर–झबरेड़ा–सहारनपुर तथा सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय मार्गो के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों हेतु स्वयंमेव प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

11– मद संख्या–13 एवं 14 के अन्तर्गत क्रमशः देहरादून–विकासनगर तथा सम्बन्धित मार्ग एवं देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग हेतु प्राप्त स्वयंमेव प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

12– मद संख्या–15 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के 111 प्रार्थना पत्र एवं ठेका बस के 04 प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया

पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण मामले को स्थगित करने के आदेश पारित किये गये।

संकल्प संख्या–09 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण मामले को स्थगित करने के आदेश पारित किये गये।

संकल्प संख्या–10, 11 व 12 पर प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से विचार करते हुये मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग होने एवं इन मार्गों का अधिकांश भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग होने के कारण विधिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये प्राप्त प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया गया है।

संकल्प संख्या–13 एवं 14 के अन्तर्गत मामले पर विचार करते हुये मार्ग पर और कितनी बसों की आवश्यकता होगी? के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाने के निर्देश देते हुये मामले को स्थगित किया गया।

संकल्प संख्या–15 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को

था।

पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत करते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय दिया गया।

13– मद संख्या–16 के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब 101, मैक्सी कैब 973, ठेका बस के 33 प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–16 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत करते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय दिया गया।

14– मद संख्या–17 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड मैक्सी कैब के स्वीकृत परमिटों के समय बढ़ाने के 03 प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–17 के अन्तर्गत मामले पर विचारोपरान्त पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ रुपया 3000–00 विलम्ब शुल्क के साथ समय बढ़ाते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय दिया गया है।

15– मद संख्या–18 के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर तथा सम्बन्धित मार्ग के 13 स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–18 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा मार्ग अन्तर्राज्यीय होने के कारण वाहन स्वामियों की प्रार्थना पर उक्त मार्ग के 13 परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक स्वीकृत करते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया गया।

16– मद संख्या–19 के अन्तर्गत 19 मामलों को धारा–86 की

संकल्प संख्या–19 के अन्तर्गत प्राधिकरण

कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

द्वारा 19 मामलों में से समस्त भारतवर्ष का 01 एवं उत्तराखण्ड का 01 मैक्सी कैब परमिट निरस्त करते हुये शेष 17 मामलों पर परमिट निलम्बन अथवा निलम्बन अवधि का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी निम्न मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–

(अ)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **01–10–2009** से **15–07–2010** तक मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–87, 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिटः–

क0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट।	**165**
2	अन्तर्राज्यीय मार्गों (राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं हिमाचल राज्य परिवहन निगम की बसों) के लिए द्वि–पक्षीय कराधान के अन्तर्गत अधिकतम चार माह की अवधि के लिए जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर।	**277**
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मोटर कैब परमिट।	**03**
4	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मैक्सी कैब परमिट।	**315**
5	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई ठेका बस परमिट।	**36**

(ब)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के स्थायी परमिट एवं समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये उक्त श्रेणी के स्थाई परमिट :–

क्र0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब स्थाई परमिट।	**1268**
2	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के स्थाई परमिट।	**54**
3	मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस के समस्त भारतवर्ष के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**2968**
4	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**173**
5	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**03**
6	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**56**
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**226**
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**04**
9	प्राईवेट स्टेज कैरिज के जारी स्थाई परमिट।	––
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्राईवेट स्टेज कैरिज बस परमिटों के नवीनीकरण।	––

(स)– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान/उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारस्परिक परिवहन करार में बनी सहमति के अनुसार जारी किये गये स्थायी मंजिली/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

(1)	समस्त उत्तर प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर–	क्रमांक **9454** से **10924** तक।
(2)	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थाई सवारी गाड़ी प्रतिहस्ताक्षर परमिटों का नवीनीकरण–	परमिट सं0–**23, 24, 34** एवं **35**

(द) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 01–10–2009 से 15–07–2010 तक की अवधि में प्रस्तुत किये गये **1051** प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–03

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–10–2009** से **15–07–2010** तक मोटर कैब/ मैक्सी कैब के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन।

समस्त भारतवर्ष के स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या–848, 2010, 2920, 3168, 3236, 3273, 3286, 3342, 3349, 3382, 3416, 3430, 3498, 3568, 3573, 3590, 3595, 3615, 3862, 3897, 3925, 3933, 4244, 4438, 4509, 4741,

4746, 4760, 4806, 4834, 5184, 5557, 5660, 5733, 5761, 5804, 5866, 5976, 6033, 6191, 6489, 6527, 6644, 6993, 6994, 7106, 7636, 7705, **मैक्सी कैब परमिट संख्या–**71, 404, 628, 936, 969, 1082, 1111, 1864, 2174, 2274, 2487, 2664, 3032, 3078, 3132, 3135, 3413, 3649, 3695, 3777, 3798, 3802, 3936, 3938, 3948, 3959, 3962, 3963, 3992, 4013, 4023, 4030, 4052, 4089, 4135, 4137, 4139, 4185, 4202, 4258, 4274, 4276, 4305, 4335, 4336, 4350, 4363, 4382, 4383, 4390, 4396, 4407, 4418, 4419, 4429, 4472, 4498, 4567, 4597, 4955, 4982, 5069, 5072, 5181, 5186, 5289, 5389, 5797, 5800, 6104, 6478, 7290, 9106, **समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मैक्सी कैब परमिट संख्या–**71, 764, 818, 824, 927, 1009, 1048, 1488, 1538, 1579, 1624, 1654, 1716, 1738, 1781, 1830, 1874, 1884, 1892, 1899, 2055, 2059, 2062, 2066, 2185, 2192, 2287, 2314, 2510, 2512, 2557, 2567, 2604, 2746, 3033, 3086, 3455, 3574, 3645, 4265, 4360, 4520, 5110, 5320, 5792, **मोटर कैब परमिट संख्या–**275, 524, 840, 977, 1058, 1108, 1330, 1335 एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(1) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब परमिट संख्या**–3308, 3625, 4586 एवं 7726, एवं **समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिट संख्या–**82, 173 **समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या**–936, 2563, 4403 5758, एवं **उत्तराखण्ड मैक्सी कैब परमिट संख्या**–4265 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(2) के प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–04

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या पीएसटीपी– **56, 57, 59, 60, 61** एवं **141/60** के नवीनीकरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–05

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–15 में समस्त भारतवर्ष एवं मद संख्या–16 में समस्त उत्तराखण्ड के स्वीकृत किये गये मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र जिनकी समय सीमा मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की अवधि में समाप्त हो गयी थी, के सम्बन्ध में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के **47**, ठेका बस के **02** एवं समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब के **62** व ठेका बस के **16** परमिटों के समय बढ़ाने के सम्बन्ध में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–06

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा व्यवसायिक वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम, वाहन चालक का लाईसेन्स पांच वर्ष पुराना होने, चालक केबिन में पार्टीशन होने एवं वाहन में लकड़ी का गुटका होने की शर्त हटाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार तायल, तायल टूर एण्ड ट्रैवल्स, हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश के प्रत्यावेदन दिनांक 08–04–2010 पर विचार व आदेश।

श्री राजेश कुमार तायल, तायल टूर एण्ड ट्रैवल्स, हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 08–04–2010 द्वारा अवगत कराया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में वाहन में म्यूजिक सिस्टम, वाहन चालक लाईसेंस कॉमर्शियल की 5 वर्ष पुराना होने, मैक्सी कैब वाहनों में चालक कैबिन में पार्टीशन होने एवं मोटर कैब, मैक्सी कैब में लकड़ी का गुटका रखने के सम्बन्ध में अधिरोपित की गयी उपरोक्त शर्तो में निम्न प्रकार संशोधन करने के सुझाव दिये गये हैं :–

1– वाहन में म्यूजिक सिस्टम के सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि महोदय आजकल काफी वाहन हो गये हैं। सवारी बुक करने से पहले म्यूजिक सिस्टम मांगती है। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि चालक बार–बार कैसेट बदलता है लेकिन आजकल पैनड्राइव, सी0डी0प्लेयर आदि चीजें हैं जिससे बार–बार कैसेट बदलने का झंझट समाप्त हो जाता है। कैसेट प्लेयर की जगह डी0वी0डी0, सी0डी0 प्लेयर आदि को मान्यता दी जाये।

2– वाहन चालक के 5 वर्ष लाईसेंस के सम्बन्ध में महोदय यह कि आजकल जो ड्राइवर 5 वर्ष ड्राइव कर लेता है। वह 5 वर्ष में परिपक्व हो जाता है कि स्वयं की गाड़ी ले लेता है ऐसे नियमावली से चालकों का संकट बना हुआ है। जिससे नये चालकों को मौका न दिये जाने के कारण गाड़ी घरो में खड़ी हैं। यह नियम समाप्त किये जाये जिससे बेहतर सुविधा दी जाये।

3– मैक्सी कैब डण्डा लगाने के सम्बन्ध में महोदय मैक्सी कैब कम्पनी द्वारा निर्मित वाहन है। डण्डा लगाने से गेयर डालने में दिक्कत होती है। उस पर लग्जरी गाडियों की आराम दायकता समाप्त हो जाती है। डण्डे के बजाए बकैट सीट का प्राविधान हो या परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में 9+1 की जगह 8+1 का परमिट जारी किया जाये।

4– मैक्सी कैब व टैक्सी कैब से गुटका समाप्त किया जाये क्योंकि गुटका उन्हीं गाडियों में होना चाहिए जिन वाहनों में परिचालक नियुक्त होता है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य में बढती हुयी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix), धारा–76 की उपधारा–3(iii) एवं धारा–79 की उपधारा–2(vii) में विहित प्राविधानानुसार बैठक दिनांक 15–07–2003 के मद संख्या–10 में वाहन स्वामी कम से कम 05 वर्ष पुराना चालक लाईसेंस धारक से वाहन सेवायोजित करेगा, क्रमशः परिचालन के माध्यम से दिनांक 10–11–2004 को वाहन में लकड़ी का गुटका रखे जाने एवं

दिनांक 24–03–2007 को व्यवसायिक वाहनों में टेपरिकार्ड लगाना पूर्णतः निषिद्ध करने व चालक कैबिन में पार्टीशन होने की शर्ते अधिरोपित की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix), धारा–76 की उपधारा–3(iii) एवं धारा–79 की उपधारा–2(vii) में कम से कम एक मास की सूचना के पश्चात् परमिट की शर्तो में परिवर्तन करने व परमिट पर अतिरिक्त शर्त लगाये जाने का प्राविधान है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर अग्रिम आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–07

उत्तराखण्ड राज्य में व्यवसायिक वाहनों के वर्तमान में लागू यात्री किराये एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न व्यवसायिक वाहन यूनियनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार व आदेश।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67 (1) खण्ड–'घ' के अधीन मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी, माल यान के लिए यात्री किराये एवं माल भाड़े की दर नियत करने का अधिकार राज्य सरकार को है। शासन द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या–619/ix/166/2005 दिनांक 17–01–2005 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) के खण्ड 'घ' (1) के अधीन मंजिली, ठेका गाडी तथा माल वाहनों के यात्री किराये एवं माल भाडे की दरों को निर्धारित किये जाने हेतु धारा–68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को नामित किया है। किराया नियत करने से पूर्व विभिन्न संस्थाओं/संगठनों एवं जनसामान्यों, नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत आदि की परिधि के अन्तर्गत प्राप्त सुझावों एवं ईंधन की दरों में हुयी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम किराया नियत किये

जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में विभिन्न व्यवसायिक वाहन यूनियनों से प्रश्नगत प्रकरण पर जो प्रत्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुये हैं, उनका विवरण निम्नवत हैंः–

(1) अध्यक्ष, मैसर्स गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, कोटद्वार ने अपने पत्र संख्या–1925/एफ0सी0/दिनांक 16–03–2010 द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान समय में डीजल व अतिरिक्त कर तथा मोटर पार्टस, चैसिस आदि में बढ़ोत्तरी के कारण परिवहन व्यवसायियों को काफी संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के लाखों लोग बैंकों से लोन लेकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन व्यवसाय से जुड़े हैं। विगत कई वर्षो में डीजल की कीमतों में निम्नवत् वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है :–

वर्ष	दिनांक	प्रति लीटर वृद्धि
1999	06–10–1999	रु0 3.86 प्रति लीटर
2000	01–10–2000	रु0 2.99 प्रति लीटर
2002	04–06–2002 व 18–10–2002	रु0 1.81 प्रति लीटर
2003	03–01–2003 व 17–02–2003	रु0 7.76 प्रति लीटर
2004	01–01–2004 व 02–08–2004	रु0 5.67 प्रति लीटर
2004	06–11–2004	रु0 1.46 प्रति लीटर
2005	23–06–2005	रु0 2.38 प्रति लीटर
2005	02–07–2005	रु0 0.53 प्रति लीटर
2005	09–09–2005	रु0 1.94 प्रति लीटर
2006	16–06–2006	रु0 1.75 प्रति लीटर
2008	14–06–2008	रु0 1.55 प्रति लीटर
2010	27–02–2010	रु0 1.86 प्रति लीटर

वर्तमान में डीजल की कीमत रुपया 38.27 प्रतिलीटर होने, मोटर पार्टस में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ–साथ चैसिस की कीमत, वाहन का रख–रखाव, लेबर चार्ज आदि में भी वृद्धि हो जाने के कारण अध्यक्ष, जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार द्वारा वर्तमान में निर्धारित मंजिली गाड़ी के यात्री किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(2) अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–144/ix/91/2010 दिनांक 13–04–2010 के साथ अधिशासी निदेशक, कुमांऊ मोटर ऑनर्स लिमिटेड, काठगोदाम के पत्र संख्या–1213 दिनांक 25–03–2010 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मामले पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अधिशासी निदेशक, के0एम0ओ0यू0लि0, काठगोदाम द्वारा अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2005 से अब तक इन्श्योरेन्स प्रीमियम, मोटर पार्टस एवं टायर, डीजल के मूल्य, नये वाहनों के क्रय मूल्य, ऋण, देय करों, वाहन के रख–रखाव की दरों आदि में निम्न प्रकार वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है :–

क्र0सं0	मद	वर्ष 2005	वर्ष 2010	वृद्धि प्रतिशत
1	इन्श्योरेन्स प्रीमियम	रु0 10,671–00	रु0 22,413–00	110 प्रतिशत
2	मोटर पार्टस/टायर	रु0 4,000–00	रु0 9,000–00	125 प्रतिशत
3	डीजल मोबिल ऑयल	रु0 28–08 रु0 100–00	रु0 38–70 रु0 220–00	38 प्रतिशत 120 प्रतिशत
4	नये वाहनों के क्रय में वृद्धि	–	–	50 प्रतिशत
5	ब्याज की दरों में वृद्धि	8 प्रतिशत	14 प्रतिशत	6 प्रतिशत

अधिशासी निदेशक, कुमाँऊ मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, काठगोदाम द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये पहाड़ी क्षेत्र में संचालित यात्री वाहनों के किराये की दरों में 80 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

(3) अध्यक्ष, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर वेलफेयर मोटर एसोसिएशन द्वारा अपने पत्र दिनांक 12–04–2010 एवं 02–07–2010 द्वारा अवगत कराया है कि पिछले काफी समय से अब तक डीजल के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के

कारण डीजल, स्पेयर पार्टस, मोबिल ऑयल, टायर आदि के दामों में 20 से 60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ–साथ बसों के चेसिस, बीमा आदि में वृद्धि के अतिरिक्त चालक, परिचालक को दिये जाने वाले वेतन में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। उनके द्वारा किराये में न्यूनतम 1–00 रुपया व अधिकतम 5–00 रुपया वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(4) अध्यक्ष, देहरादून–कालसी–कुल्हाल (पौंटा)–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसिएशन ने अपने पत्र दिनांक 02–07–2010 द्वारा अवगत कराया है कि पिछले काफी समय से लेकर अब तक डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008 में जब किराये की दरें बढ़ायी गयी थी, उस समय डीजल का मूल्य प्रतिलीटर रु0 32.17 था। वर्तमान में प्रतिलीटर रु0 40.40 हो गया है। पूर्व निर्धारित किराये के पश्चात् लगभग रु0 7.23 प्रतिलीटर डीजल के मूल्य में वृद्धि के साथ–साथ स्पेयर पार्टस, मोबिल ऑयल, टायर आदि के दामों में 20 से 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। अध्यक्ष, देहरादून–कालसी–कुल्हाल (पौंटा)–डाकपत्थर मोटर ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा यात्री किराये में न्यूनतम 30 प्रतिशत किराया वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) खण्ड–'घ'(1) में शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03–11–2008 में मंजिली गाड़ियों एवं रिजर्व पार्टी परमिटों के लिए यात्री किराये की दरें निम्नवत निर्धारित की गई हैं, जो वर्तमा

वाहन/परमिट का प्रकार	मार्ग/क्षेत्र	मार्ग की श्रेणी	प्रति यात्री प्रति किमी0 अधिकतम् किराये की दर (पैसों में)
मंजिली वाहनें स्टेज कैरेज परमिट	मैदानी मार्ग	'क'	48.30
		'ख'	55.20
	पर्वतीय मार्ग	कोलतार वाली सड़कें	69.41
		अन्य सड़कें	78.94

रिजर्व पार्टी परमिट	मैदानी मार्ग		60.72
	पर्वतीय मार्ग		90.80
एक्सप्रेस वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.10 गुना		
सेमी डीलक्स वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.25 गुना		
डीलक्स वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.70 गुना		

(5) सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या–141/ix/72/2010 दिनांक 08–04–2010 के साथ प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या–3908/एच0क्यू0/संचालन/2010 दिनांक 19–03–2010 की प्रति संलग्न करते हुये नगर क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सिटी बसें/मंजिली गाड़ियों के लिये किराये की दरों के निर्धारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में नगर बस सेवा हेतु जो किराया निर्धारित किया गया है वह किराया दिनांक 03–11–2008 से लागू है। उस समय डीजल की दरें 33.14 रुपये प्रति लीटर थी। जो वर्तमान में बढ़कर 37.67 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। निगम में छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने के पश्चात् वेतन के मद में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। निगम द्वारा नगर बसों के वर्तमान में निर्धारित किराये में निम्न प्रकार वृद्धि का अनुरोध किया गया है :–

क्र0सं0	दूरी कि0मी0 में	मांग में दी गयी दरें (रुपये में)
1	0 से 03 कि0मी0	05–00
2	03 कि0मी0 से अधिक परन्तु 10 कि0मी0 तक	10–00
3	10 कि0मी0 से अधिक परन्तु 20 कि0मी0 तक	15–00
4	20 कि0मी0 से अधिक परन्तु 25 कि0मी0 तक	20–00

(6) देहरादून महानगर सिटी बस सेवा एसोसिएशन, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 18–03–2010 द्वारा अवगत कराया है कि विगत 02 वर्षों से अब तक डीजल, स्पेयर पार्टस, मोबिल ऑयल, टायर, चेसिस की कीमतें आदि के दामों में लगभग 25 से 30 प्रतिशत, टायर में 60 प्रतिशत तथा स्टाफ के वेतन भत्तों में 40 से 75 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप फाईनेन्स की किश्तें, स्टाफ के व्यय व वाहन के रख–रखाव में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष, नगर बस सेवा यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार मोटर पार्टस एवं आदि के दामों में वृद्धि हो जाने से नगर बस सेवा के वर्तमान में लागू यात्री किराये की दरों में न्यूनतम 2.00 रूपये व अधिकतम 3.00 रुपये की वृद्धि करते हुये निम्नवत यात्री किराया निर्धारित करने का अनुरोध किया है:–

क्र0सं0	दूरी का विवरण	पूर्व दरें (रुपये में)	यूनियन द्वारा की गयी मांग	मांग में दी गयी दरें (रुपये में)
1	01 से 03 कि0मी0	3.00	01 से 03 कि0मी0	5.00
2	03 से 06 कि0मी0	5.00	03 से 06 कि0मी0	7.00
3	06 से 09 कि0मी0	6.00	06 से 09 कि0मी0	8.00
4	09 से 15 कि0मी0	9.00	09 से 12 कि0मी0	10.00
5	15 से 20 कि0मी0	12.00	12 से 15 कि0मी0	12.00
6	20 से 25 कि0मी0	15.00	15 से 18 कि0मी0	14.00
7	–	–	18 से 20 कि0मी0	16.00
8	–	–	20 से 25 कि0मी0	18.00

वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य में नगर बस सेवा के रूप में वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 (1)(घ)(1) में शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 03–11–2008 में नगर पालिका/नगर**

निगम क्षेत्र की सीमा के भीतर 25 कि0मी0 से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलाये जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ी के लिए यात्री किराये की दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं, जो वर्तमान में लागू हैं :–

क्र0सं0	दूरी का विवरण	दरें (रुपये में)
1	01 कि0मी0 से 03 कि0मी0	3.00
2	03 कि0मी0 से 06 कि0मी0	5.00
3	06 कि0मी0 से 09 कि0मी0	6.00
4	09 कि0मी0 से 15 कि0मी0	9.00
5	15 कि0मी0 से 20 कि0मी0	12.00
6	20 कि0मी0 से 25 कि0मी0	15.00

(7) अध्यक्ष, विक्रम जनकल्याण सेवा समिति, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 07–07–2010 द्वारा अवगत कराया है कि डीजल, टायर, इन्श्योरेन्स एवं जीवन की दैनिक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से विक्रम व्यवसाय से जुड़े वाहन स्वामियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। विक्रम का किराया वर्ष 2005 से वही है। वर्ष 2008 में शासन द्वारा विक्रम के किराये में न के बराबर बढ़ोत्तरी की गयी थी, जिसका लाभ विक्रम वाहन स्वामी को नहीं मिल पाया। उनके द्वारा 2004 से अब तक डीजल मूल्यों एवं अन्य मदों में निम्न प्रकार वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है :–

क्र0सं0	मद	वर्ष 2004–05	वर्ष 2008	वर्ष 2010
1	साधारण डीजल	रु0 28.25	रु0 36.40	रु0 40.48
2	ट्रबोजेड डीजल	–	रु0 38.40	रु0 42.29
3	इन्श्योरेन्स फस्ट पार्टी	रु0 3500.00	रु0 5100.00	रु0 5500.00
4	तृतीय पार्टी	रु0 1950.00	रु0 2850.00	रु0 2850.00
5	टायर	रु0 700.00	रु0 1100.00	रु0 1950.00

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त ऑटो रिक्शा, ठेका गाड़ी यूनियन एवं जनभार यूनियन से यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों की वृद्वि के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) खण्ड–'घ'(1) में शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03–11–2008 में मोटर कैब, ऑटो रिक्शा एवं विक्रम टैम्पो के लिये यात्री किराये की दरें निम्नवत निर्धारित की गयी थी, जो वर्तमान में लागू हैं:–

वाहन का प्रकार	प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिये।
टैम्पो	रूपये–5.18
ऑटो रिक्शा	रूपये–6.00 तथा न्यूनतम किराया दर रू0– 17.00 निर्धारित करते हुए रात्रि सेवा 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संचालित ऑटो रिक्शा के लिए 25 प्रतिशत् अतिरिक्त किराये में वृद्धि।
टैक्सी कैब (टैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिए वाली गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चालक को छोड़कर अधिक से अधिक छः यात्रियों को वहन करने के लिए निर्मित है।	1–रूपये–8.00 एवं प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए रू0–115.00 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–6.00 2–नगर निगम/नगर पालिका सीमा में संचालित होने वाली वातानुकूलित टैक्सी कैब का न्यूनतम किराया प्रथम कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 100.00 एवं साधारण टैक्सी कैब के लिए रू0 80.00 तत्पश्चात् प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 8.00

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–11–2008 में मैक्सी कैब, ठेका बस के लिये यात्री किराये की दरें निम्नवत निर्धारित की गयी थी, जो वर्तमान में लागू हैं।

मैदानी क्षेत्रों के मार्गो के लिये (प्रति कि0मी0 या उसके भाग के लिए)		**पर्वतीय क्षेत्र के मार्गो के लिये (प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये)**
मैक्सी	रू0 12.65	रू0 13.23
मैक्सी कैब के लिए प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए रू0–175.00 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–12.00		
मैक्सी कैब को छोडकर 20 या उससे कम सीट वाली वाहनें	रु0 14.08	रु0 17.53
21–41 सीट वाली वाहनें	रु0 21.05	रु0 25.19
42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनें	रु0 25.19	
डीलक्स बस	रु0 30.50	रू0–30.50
वातानुकूलित बस	रु0 35.26	–
कच्चे मार्गो पर अतिरिक्त भाडा	रु0 6.97	रू0–6.97 परन्तु डीलक्स बसों और अन्य मोटरयानों की दरें क्रमशः न्यूनतम रूपया 209.52 तथा 157.99 होंगी, जिसमें प्रतीक्षा भाड़ा सम्मिलित नहीं है।
प्रतीक्षा भाड़ा	8 घण्टे या उसके भाग के लिए	प्रति अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए
यदि बस प्रस्थान स्थल से 15 किमी0 से अधिक दूरी पर जाती है	रु0 345.00	रू0–23.00
15 किमी0 से कम दूरी के लिये	–	रू0–55.00

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) खण्ड–'घ' (1) में शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–11–2008 में जनभार वाहनों के माल भाड़े की दरें निम्नवत निर्धारित की गयी हैं, जो वर्तमान में लागू हैं :–

<table>
<tr><th>क्षेत्र/मार्ग</th><th colspan="2">भाड़े की अधिकतम दरें प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 (पैसों में)</th><th colspan="2">रोक लेने का प्रभार
(डिटेन्शन चार्ज)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">मैदानी मार्ग</td><td colspan="2" rowspan="3">15.00</td><td>(1) 37.32 कुन्तल तक भार ले जा सकने की क्षमता वाली वाहन के लिये प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये</td><td>रू0–106.00</td></tr>
<tr><td>(2) 37.32 कुन्तल से अधिक</td><td>रू0–159.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 219.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 426.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">पर्वतीय मार्ग (दोनों ओर से यातायात वाले कोलतार के मार्ग)</td><td>'क' वर्ग वाले माल</td><td>28.00</td><td rowspan="5">(1) 37.32 कुन्तल तक भार ले जा सकने की क्षमता वाली वाहन के लिये प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये

(2) 37.32 कुन्तल से अधिक

परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये–219.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 426.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।</td><td rowspan="5">रू0 106.00

रू0–159.00</td></tr>
<tr><td>'ख' वर्ग वाले माल</td><td>31.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पर्वतीय मार्ग (एक ओर से यातायात वाले कोलतार के मार्ग)</td><td>'क' वर्ग वाले माल</td><td>31.00</td></tr>
<tr><td>'ख' वर्ग वाले माल</td><td>36.00</td></tr>
<tr><td>बिना कोलतार</td><td>'क' वर्ग वाले</td><td>33.00</td></tr>
</table>

के मार्ग	माल			
	'ख' वर्ग वाले माल	36.00		

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2005 में डीजल का मूल्य प्रति ली0 रुपये 28.25 था एवं वर्ष 2008 में डीजल मूल्य प्रति ली0 रुपये 36.40 की दर से विक्रय होने पर वर्ष 2005 से 2008 तक डीजल के मूल्य में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ–साथ अन्य मदो में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी के पूर्व में निर्धारित यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। वर्ष 2008 में डीजल का मूल्य प्रतिलीटर रु0 36.40 था। वर्तमान में डीजल का मूल्य प्रतिलीटर रु0 40.48 है। इस प्रकार डीजल के मूल्य में वर्ष 2008 से अब तक 11.28 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम को शासन द्वारा शासनादेश संख्या–78/ix/2010/166/2004 दिनांक 31–03–2010 के द्वारां प्रदान की गयी अनुमति के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अपनी बसों का यात्री किराया दिनांक 07/08–04–2010 की मध्य रात्रि से बढ़ाया गया है, जो निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	सेवा का प्रकार	मैदानी मार्ग (पैसें प्रति यात्री प्रति कि0मी0)		पर्वतीय मार्ग (पैसें प्रति यात्री प्रति कि0मी0)	
		वर्तमान दर	पुर्नरिक्षित दर	वर्तमान दर	पुर्नरिक्षित दर
1	साधारण सेवा	59.00	63.00	86.40	82.80
2	एक्सप्रेस सेवा	64.90	69.30	–	–
3	सेमी डी–लक्स	64.90	69.30	95.00	101.40
4	डी–लक्स	100.30	107.10	146.90	153.30

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन ने शासन द्वारा दी गयी अनुमति के अनुपाल में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पत्र दिनांक 07–04–2010 को निगम की बसों में

बढ़ाये गये यात्री किराये के बराबर निजी मंजिली गाड़ियों का किराया बढ़ाने एवं किराये बढ़ाने विषयक कार्यालय में लम्बित प्रार्थना पत्र दिनांक 12–04–2010 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–1178/एम0एस0/2010 देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग एसोसिएशन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–08

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के संचालन के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2001 में निर्धारित मापदण्डों में संशोधित करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–641/स0प्रशा0/यात्रा–2010/2010 दिनांक 29–05–2010 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार व आदेश।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 29–05–2010 के साथ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश, जो तकनीकी संवर्ग के अधिकारी हैं, के पत्र संख्या–84/प्रशा0/2010 दिनांक 01–05–2010 की प्रति संलग्न करते हुए पर्वतीय मार्गों पर संचालित होने वाली बसों के व्हीलबेस, ओवरहैंग, समग्र चौड़ाई के वर्तमान में लागू मानकों में संशोधन करने हेतु निम्न सुझाव दिये गये हैंः–

1– **वाहन की चौड़ाई–** उत्तराखण्ड के सम्भागों में वाहनों की चौड़ाई अधिकतम 234 **इंच** निर्धारित की गई है। जबकि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 93(1) में वाहन की अधिकतम चौड़ाई 260 से0मी0 अनुमन्य है। इस विषय में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा निम्नलिखित कारणों से वाहनों की चौड़ाई अधिकतम 250 से0मी0 किए जाने का सुझाव दिया गया है।

(ए) उत्तराखण्ड मे चलने वाली वाहनों में काफी संख्या टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित वाहनों की है। टाटा मोटर्स की वाहनों में 166 इंच व्हीलबेस की वाहन की चौड़ाई 98 इंच होती है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों पर निर्धारित मानकों के लिये इस वाहन को 92 इंच चौड़ा होना चाहिए, इसके लिये वाहन की बॉडी दोनों ओर से 3–3 इंच कम करनी पड़ती है, जिससे निर्माता के डिजायन पर प्रभाव पड़ता है। कम्पनी द्वारा निर्मित बॉडी को दोनों ओर काटने से बॉडी की मजबूती में कमी आती है, क्योंकि बॉडी काटने पर इसकी बॉडी स्थानीय बॉडी मेकर्स से बनवानी पड़ती है।

(बी) दोनों ओर से बॉडी की चौड़ाई कम कर देने से वाहन के चालक के बैठने के स्थान पर प्रभाव पड़ता है और इससे वाहन संचालन में असुविधा होती है। इस कारण से चालक के वाहन चलाने की कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(सी) हिमाचल प्रदेश राज्य, जो कि पर्वतीय राज्य है, वहां पर भी वाहनों की अधिकतम चौड़ाई 250 से0मी0 निर्धारित है।

(डी) पर्वतीय मार्गों पर वाहनों की चौड़ाई के संबंध में यह भी संज्ञान में लिया जाना है कि पर्वतीय मार्गों पर माल वाहन के बड़े–बड़े ट्राले भी संचालित हो रहे हैं, जिनकी चौड़ाई 9 से 9.6 फीट तक होती है और यह वाहनें पहाड़ी मार्गो पर निरन्तर सुगमता पूर्वक संचालित हो रही हैं।

(ई) यात्री वाहनों मे यदि वाहन की चौड़ाई कम रखी जाती है तो वाहन की सीटों के साथ बीच की गैलरी में स्थान कम हो जाता है, जिससे यात्रियों को चढ़ने, उतरने एवं मूवमेन्ट में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2— **वाहन की लम्बाई (ओवरहैंग)—** वर्तमान में उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों में पर्वतीय मार्गों हेतु वाहन का ओवरहैंग अधिकतम 50 प्रतिशत निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा निम्नलिखित कारणों से वाहनों का ओवरहैंग 60 प्रतिशत करने की संस्तुति की गई है।

(ए) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में वाहन का ओवरहैंग अधिकतम 60 प्रतिशत तक होने का प्राविधान है।

(बी) पर्वतीय मार्गो पर मार्गो के रख—रखाव को ध्यान में रखते हुये समय—समय पर वाहन के ओवरहैंग को अधिकतम की सीमा के अन्तर्गत निर्धारण किया गया है।

(सी) वर्ष 1978 में पर्वतीय मार्गो हेतु वाहन का ओवरहैंग 45 प्रतिशत निर्धारित था, जो कि बाद में 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03 मार्च, 2001 में इसे सभी सम्भागों के लिये 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई एवं रख—रखाव में निरन्तर सुधार हुआ है। इसलिये मोटरयान अधिनियम में दिये गये प्राविधान के अनुसार वर्तमान में सभी वाहनों का ओवरहैंग अधिकतम 60 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है।

(डी) 166 इंच व्हीलबेस की बसों के लिये सामान्यतः 41 सीटें बनायी जाती हैं, परन्तु ओवरहैंग 50 प्रतिशत है तो ऐसी स्थिति में सीटें लगाने के लिये उपलब्ध लम्बाई कम रह जाती है। वाहन की लम्बाई कम रहने से सीटों में बैक टू बैक स्पेश निर्धारित मानकों के अनुसार 70 से0मी0 नहीं आ पाता है। इससे यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है और घुटने आगे की सीट से टकराते हैं। यदि बैक टू बैक स्पेश नियमानुसार रखा जाय तो इसमें 5 सीटें कम बनती हैं। सीट कम बनने से देय राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में केवल देहरादून सम्भाग की वाहनों का आंकलन करने पर लगभग 15 लाख रूपये राजस्व हानि प्रत्येक वर्ष होने की सम्भावना बनती है।

(ई) उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की वाहनें उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुये आती हैं, इन सभी वाहनों का ओवरहैंग 55–60 प्रतिशत के बीच है। इस प्रकार राज्य में न चाहते हुये भी दोहरी व्यवस्था चल रही है। उत्तराखण्ड में पंजीकृत वाहनों का ओवरहैंग 50 प्रतिशत रखा जा रहा है। हिमाचल से आने वाली बसें 55 प्रतिशत ओवरहैंग के साथ संचालित हो रही हैं। यद्यपि 50 प्रतिशत ओवरहैंग सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है, लेकिन आज की पर्वतीय मार्गो की सुधरी स्थिति को देखते हुये उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

(एफ) विभिन्न निर्मिताओं के द्वारा जो वाहनें बॉडी सहित विक्रय की जा रही हैं, उन सभी वाहनों का व्हीलबेस मोटरयान अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 60 प्रतिशत है। इस तरह की कई वाहनें विभिन्न कार्यालयों में पंजीकृत हुई हैं और पर्वतीय मार्गो पर संचालित हो रही हैं। इन वाहनों के पुनः फिटनेस या पंजीयन के समय कार्यालय में निरीक्षण करने पर वाहनों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही संभव नहीं हो पाती तथा वाहनों के संचालन में कठिनाई आने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है जबकि इन वाहनों का संचालन निरन्तर पहाड़ी मार्गों पर हो रहा है।

3– **वाहनों की लम्बाई (व्हीलबेस)** – उत्तराखण्ड में देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत वाहनों का व्हीलबेस 171 इंच, (देहरादून–मसूरी मार्ग पर 190 इंच) तथा पौड़ी सम्भाग के लिए 166 इंच निर्धारित है। कुमायूं सम्भाग में तीन मार्गों को छोड़कर शेष के लिए 166 इंच व्हीलबेस निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा देहरादून–मसूरी मार्ग पर व्हील बेस 195 इंच किए जाने का सुझाव देते हुए निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(ए) देहरादून–मसूरी मार्ग की सड़कें अन्य पर्वतीय मार्गों की तुलना में उपयुक्त हैं। मार्ग की दोनों ओर चौड़ाई और परमिट आदि की स्थिति अन्य मार्गों की तुलना में अच्छी है। इसी प्रकार टनकपुर–पिथौरागढ़–धारचूला, हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान, भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर क्रमशः 195, 218 एवं 205 इंच व्हीलबेस के वाहनों को अनुमन्य किया गया है। इस आधार पर देहरादून–मसूरी मार्ग पर 195 व्हील बेस की वाहनों को अनुमन्य किया जा सकता है।

(बी) टाटा के द्वारा निर्मित 909 मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका व्हीलबेस 193.78 इंच है। वाहन स्वामियों के द्वारा इन वाहनों का माइलेज अन्य वाहनों के सापेक्ष अच्छा बताया जा रहा है, तथा इसका चेसिस टाटा के 52 सीट वाले चेसिस के सापेक्ष लगभग 3.00 लाख रूपये सस्ता भी बताया गया है जिसके कारण कई वाहन स्वामियों के द्वारा इस चेसिस को क्रय कर वाहनें तैयार की गई हैं। इन वाहनों की बनावट पहाड़ी मार्गों एवं यात्रियों की सुविधा के अनुरूप परन्तु देहरादून–मसूरी मार्ग पर व्हील बेस 190 इंच अनुमन्य होने से कारण इन वाहनों का चेसिस 193.74 इंच होने के कारण संचालन नहीं हो पा रहा है। यदि इस मार्ग हेतु अधिकतम व्हील बेस 195 इंच कर दिया जाता है तो टाटा मोटर्स के इस मॉडल की वाहनों का संचालन देहरादून–मसूरी मार्ग पर किया जाना संभव हो सकेगा।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2001 के संकल्प संख्या–20 द्वारा राज्य के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड़ों का विवरण निम्नवत् है, जो वर्तमान में लागू हैः–

क्र0 सं0	मानक	पौड़ी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमायूं सम्भाग
1	व्हीलबेस	166 इंच	देहरादून–मसूरी मार्ग पर–190	टनकपुर–पिथौरागढ़–धारचूला मार्ग पर–195 इंच।

			इंच। अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इंच।	भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर 205 इंच। हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर 218 इंच। शेष पर्वतीय मार्गों पर 166 इंच।
2	समग्र चौड़ाई	234 से.मी.	234 से.मी.	234 से.मी.
3	ओवरहैंग	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

2– मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–72 की उपधारा–2 प्रस्तर–xxii, धारा–74 की उपधारा–2 के प्रस्तर–ix, धारा–76 की उपधारा–3 के प्रस्तर–iii तथा धारा–79 की उपधारा–2 के प्रस्तर–vii में दी गयी व्यवस्थानुसार प्राधिकरण कम से कम एक माह का नोटिस देकर परमिट की शर्तो में परिवर्तन कर सकती है और अतिरिक्त शर्ते भी जोड़ सकती है।

3– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र में चारधाम यात्रा में वाहनों की कमी को देखते हुए अन्य राज्यों से यात्री वाहन उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में निर्धारित मापदण्डों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ताकि चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सके।

4– पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के संचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्धारित मापदण्डों में संशोधित करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र दिनांक 29–05–2010 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को चारधाम यात्रा की महत्ता को देखते हुये मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–58 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण के मा0 सदस्यों को उनका मत प्राप्त करने हेतु परिचालन के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया था :–

क– देहरादून–मसूरी मार्ग पर वाहनों का व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच करने के सम्बन्ध में।

ख– उत्तराखण्ड के सभी संभागों के पर्वतीय मार्गों पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 करने के सम्बन्ध में।

ग– सभी संभागों के पर्वतीय मार्गों पर ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में।

परिचालन के माध्यम से मा0 सदस्यों को भेजे गये परिचालन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री जतिन्द्र पाल सिंह चड्ढा द्वारा दिनांक 19–06–2010 को अपनी सहमति व्यक्त की गयी है तथा दूसरे सदस्य मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग द्वारा भी सहमति प्रदान करते हुये प्रस्ताव पर निम्न आख्या प्रेषित की है :–

क– *देहरादून–मसूरी मार्ग पर वाहनों का व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच करने की संस्तुति की जाती है। जिससे यात्रियों की पहाड़ी मार्गो पर यात्रा आरामदायक होगी।*

ख– *उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 करने की संस्तुति की जाती है जिससे यात्रियों को गैलरी में चलने हेतु पर्याप्त जगह मिल पायेगी।*

ग– *सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत करने की संस्तुति की जाती है, जिससे यात्रियों को बैठने हेतु आवश्यक 70 से0मी0 जगह उपलब्ध हो पायेगी तथा यात्रियों के बैठने पर लम्बी यात्रा में उनके पैरों को आराम मिलेगा और यात्रा सुखदायी रहेगी।*

प्राधिकरण के एक सदस्य अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिचालन विधि से प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया है, जो निम्नवत है :–

''प्रशासकीय विभाग की गत पृष्ठ संख्या–01, 02, 03 एवं 04 में अंकित टिप्पणी के अवलोकनानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा पैरा–4 में उल्लिखित निम्न बिन्दुओं पर राय मांगी गयी है :–

(क) देहरादून–मसूरी मार्ग पर वाहनों का व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच करने के सम्बन्ध में।

(ख) उत्तराखण्ड के सभी संभागों के पर्वतीय मार्गों पर वाहन की अधिकतम चौडाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 करने के सम्बन्ध में।

(ग) सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में।

2— इन उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बिन्दुओं में विधि का कोई प्रश्न अन्तनिर्हित होना प्रतीत नहीं होता है तथापि प्रस्तावित बिन्दु 'ग' के सम्बन्ध में मेरे मतानुसार पर्वतीय मार्गो पर ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्राधिकरण के मा0 तीनों सदस्यों को भेजे गये परिचालन विधि के प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता स्तर—1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड एवं प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में समान सहमति दी है तथा अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन द्वारा देहरादून—मसूरी मार्ग पर व्हीलबेस 195 इंच, पर्वतीय मार्गो पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 करने पर सहमति एवं पर्वतीय मार्गो पर ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत करने पर असहमति व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम—55(1) में राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:—

(i)-One, in case the Authority consists of only one member, or
(ii)-Two, in case the Authority consists of two or three members; or
(iii)-Three, in case the Authority consists of four or five members.

राज्य परिवहन प्राधिकरण में 03 सदस्य हैं जिनमें से 02 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में तथा 01 सदस्य द्वारा प्रस्ताव के विरूद्ध अपना मत व्यक्त किया गया है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली—1998 के नियम—58 (4), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया है:—

(4) All matters shall normally be decided at a regular meeting on the basis of majority of votes of members, including the Chairman, present and voting. In case of equality of votes, the Chairman shall have and excercise a second or casting vote. If the Chairman is of the view that any matter needs urgent decision by the Authority and the meeting of the Authority cannot be conveniently called and such matter may appropriately be decided by obtaining opinion of the members of the Authority through circulation, he may invite such opinion by circulation of the matter.

(5) In the event of procedure adopted under sub-rule (4), the Secretary shall send to each member of the Authority such particulars of the matter as may be reasonable necessary in order to enable the matter to arrive at a decision and shall specify the date by which the votes of members are top be recieved in the Office of the Authority. Upon receipt of the votes of members as aforesaid, the Secretary shall lay the papers before the Chairman, who shall record the decision by endorsement on the form of application or other documents, as the case may be, according to the vote received, and the vote or votes cast by the Chairman. The record of the votes cast shall be kept by the Secretary and shall not be available for inspection to any person save to a member of the Authority. No decision shall be made through circulation before the date by which the votes of member are required to reach the office of the Authority, not less than 1/3 of the members of the Authority, may by notice in writing to the Secretary demand that the matter be referred to a meeting of the Authority.

(6) The number of vites excluding the Chairman's second or casting vote necessary for a decision to be taken upon procedure by circulation shall not be less than the number necessary to constitute a quorum.

प्राधिकरण के तीन सदस्यों में से एक सदस्य अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा प्रस्ताव के बिन्दु 'ग' पर अपनी असहमति प्रकट करने के उपरान्त मामले को पुनः प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

हिमाचल राज्य में संचालित बसों के मापदण्डों में अपनायी जा रही नीति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1727/एसटीए/दस–5/2010–11 दिनांक 23–06–2010 द्वारा परिवहन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश से अवगत

कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र के क्रम में अतिरिक्त निदेशक परिवहन, परिवहन निदेशालय, हिमांचल प्रदेश ने अपने पत्र संख्या–12–1(840)Misc, Corresp/06-Vol-II दिनांक 05–07–2010 द्वारा निम्न सूचना प्रेषित की है :–

केवल स्टैज कैरिज के लिये			
मद	**व्हीलबेस**	**ओवरहैंग**	**चौडाई**
पर्वतीय मार्गो पर	अधिकतम 4225 मि0मी0 तक तथा 5195 मि0मी0 तक (जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त)।	व्हीलबेस का 60 प्रतिशत अधिकतम	2500 मि0मी0 तक।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–09

मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर के टनकपुर–ग्वालियर वाया बरेली–आगरा मार्ग हेतु प्राप्त स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्र दिनांक 24–05–2010 पर विचार व आदेश।

मण्डलीय प्रबनधक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर द्वारा टनकपुर से ग्वालियर वाया बरेली–आगरा अन्तर्राज्यीय मार्ग हेतु 02 स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88(1), (5) एवं (6) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless

countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route

covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के बीच दिनांक 26–02–2009 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की उपधारा (5) में दी गयी व्यवस्थानुसार पारस्परिक परिवहन करार पर सहमति बनने के उपरान्त शासन द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–232/ix/2009/06/2008 दिनांक 30–07–2009 प्रकाशित की गयी थी। तद्पोरान्त आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार दिनांक 25–11–2009 को बनी अन्तिम सहमति दिनांक 01–03–2010 से लागू करने हेतु सरकारी गजट एवं समाचार पत्रों में अधिसूचना संख्या–86/ix/2010/06/2008 दिनांक 30–04–2010 प्रकाशित की गयी है। जिसमें उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में तथा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों अथवा मध्य प्रदेश निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम उपक्रम के स्थान पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित निर्दिष्ट संचालक के द्वारा उत्तराखण्ड में संचालन पर निम्नवत् सहमति बनी है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	दूरी कि0मी0 में		अन्य राज्य	मार्ग की कुल दूरी	करार पाये गये सिंगल फेरों की संख्या		अनुज्ञा पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल संचालित कि0मी0	
		मध्य प्रदेश द्वारा उत्त0	उत्त0 द्वारा मध्य प्रदेश			मध्य प्रदेश द्वारा उत्त0	उत्त0 द्वारा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्त0	मध्य प्रदेश द्वारा उत्त0	उत्त0 द्वारा मध्य प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	देहरादून–ग्वालियर वाया आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद	51	66	383	500	–	02	–	02	–	132
2	हरिद्वार–ग्वालियर वाया मेरठ आगरा	51	66	290	407	04	02	04	02	204	132
3	ऋषिकेश–ग्वालियर वाया मेरठ आगरा	82	66	290	438	–	02	–	02	–	132
4	नैनीताल–ग्वालियर वाया	80	66	290	436	02	02	02	02	160	132

	आगरा, अतरौली, मुरादाबाद										
5	टनकपुर–ग्वालियर वाया आगरा, बरेली, पीलीभीत	37	66	471	574	–	02	–	02	–	132
6	मंसूरी–ग्वालियर वाया दिल्ली	95	66	383	544	02	02	02	02	190	132
7	देहरादून–ग्वालियर वाया आगरा, मेरठ	51	66	290	407	02	–	02	–	102	–
8	हरिद्वार–ग्वालियर वाया आगरा, दिल्ली	51	66	348	465	02	–	02	–	102	–
9	ग्वालियर–उधमसिंहनगर वाया आगरा, दिल्ली	04	66	383	453	02	–	02	–	08	–
	योग					14	12	14	12	766	792

उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर द्वारा उक्त करार के क्रमांक–5 पर उल्लिखित मार्ग टनकपुर–ग्वालियर वाया आगरा–बरेली–पीलीभीत अन्तर्राज्यीय मार्ग हेतु 02 सिंगल फेरों के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य शासन स्तर पर दिनांक 25–11–2009 को पारस्परिक परिवहन करार के सम्बन्ध में बनी सहमति को दिनांक 01–03–2010 से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन करते हुये मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर को उक्त अन्तर्राज्यीय मार्ग के निवेदित स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों को स्वीकृत/जारी करने के मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–10

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधि साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर क है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे का अवसर देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–71 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों

होने वाली साधारण मंजिली–यान या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली–गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग है। इस मार्ग की शाखा मार्गों को सम्मिलित करते हुए मार्ग की कुल लम्बाई 514 कि0मी0 है। इस मार्ग का 196 कि0मी0 पौड़ी सम्भाग में तथा 318 कि0मी0 कुमाऊॅ सम्भाग में पड़ता है। मार्ग पर वर्तमान में कुल 73 स्थायी सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं। रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन संख्या	अन्य विवरण
1	15–10–2009	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ग्यासी लाल, 11 राजीव नगर, डाण्डा, अजबपुर कलां, देहरादून।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
2	तदैव	श्री अशोक कुमार पडलिया पुत्र श्री पीताम्बर दत्त पडलिया, निवासी रानीखेत रोड़, लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
3	तदैव	श्री खजान चन्द्र पुत्र श्री राधा बल्लभ निवासी पनपौला, भिक्यिासैंण, अल्मोड़ा।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
4	तदैव	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी पनपौला, भिक्यिासैण, अल्मोड़ा।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
5	तदैव	श्री जीवन सती पुत्र श्री मोहन सती निवासी लखनपुर, वार्ड नं0–5,	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया

		कोटद्वार रोड़, रामनगर, नैनीताल।		है।
6	30–04–2010	श्री उमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री अम्बादत्त जोशी, निवासी ग्रा0 चित्रकूट, चोरपानी, रामनगर।	–	प्रार्थी ने वाहन संख्या–यूके04पीए–0258 माडल 2010 वाहन की आर0सी0 की छायाप्रति संलग्न की है। समय सारणी व शपथ पत्र संलग्न है।
7	15–07–2010	श्री सुधान सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, निवासी भरतपुरी, लखनपुर, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
8	तदैव	श्री प्रेमबल्लभ जोशी पुत्र श्री नरोत्तम जोशी, निवासी ग्रा0 स्यॉलढुंगा पो0 भतरौंजखान, अल्मोड़ा।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
9	तदैव	श्री रिजवान पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी दुर्गामिल, खताड़ी, रामनगर।	–	प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
10	तदैव	श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दीनानाथ अग्रवाल, केनाल क्वार्टर, पैठपड़ाव, हनुमान गढी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
11	तदैव	श्री हबीबुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान, निवासी निकट दुर्गा मिल, खताड़ी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
12	तदैव	श्री अतिकुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान निवासी निकट दुर्गा मिल, खताड़ी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
13	तदैव	श्री हफिजुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान निवासी निकट दुर्गा मिल, खताडी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
14	तदैव	श्री निसार अहमद पुत्र श्री मौ0 हारून, निवासी खताडी, रामनगर,	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया

		नैनीताल।		है।
15	24–07–2010	श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री दया किशन, कोटद्वार रोड़, खताड़ी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
16	तदैव	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री पूर्णानन्द पाण्डेय, खताड़ी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2007 के संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत परमिट 05 वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी करने की शर्त अधिरोपित की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–11

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका गाड़ी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

''ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संवि

अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक,

वाहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो सं

हैं, चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) *बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और*

(ii) *मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''*

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधि

साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा– 3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में

नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन र
अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन
प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम
किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर
जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया है:–

''राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार र्निदिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिक
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर म र
प्रचालित होने वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।''

4– इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03–03–2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष एवं समस्त उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08–08–2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के

पश्चात् केवल **बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों** को रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20–6–2006 में अपने सचिव, को लाभार्थियों द्वारा निवेदित परमिट प्राधिकरण से अनुमोदन की शर्त पर स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किए गये थे।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–04–2007 के अन्तर्गत अपने सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर केवल समस्त भारतवर्ष के **मोटर कैब एवं मैक्सी कैब में यथा–इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य** प्रकार की लग्जरी वाहनों को स्थाई परमिट एवं शेष प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

प्राधिकरण को अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 उप नियम–2(क) में पर्यटक परमिट से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

'' एक पर्यटक परमिट उस दिनांक से अवैध समझा जावेगा, जिस दिनांक को उस परमिट से आवृत्त मोटर यान मोटर कैब होने की दशा में 9 वर्ष तथा जहॉ मोटर कैब के अलावा अन्य मोटर यान है, तो 08 वर्ष पूरे क तक कि मोटर यान को बदला नहीं गया हो (Replaced)।''

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम–85 में निर्धारित पर्यटन परमिट की शर्तों के साथ जारी किए जाते हैं तथा मोटर कैब को छोड़कर मैक्सी कैब व बड़ी ठेका बसों में पर्यटकों के नाम, पते एवं आयु तथा यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य स्थान

की सूची तीन प्रतियों में रखने का प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है, परन्तु टूरिस्ट बसों (पर्यटन यान) के लिए वाहन की आयु सीमा 08 वर्ष निर्धारित है। पर्यटन यान के रूप में संचालन के लिए बसों के स्वरूप का प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–128 में किया गया है।

वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैंः–

(1)–समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैबः–

समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिटों हेतु (यथा टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि सदृश्य प्रकार की वाहनों) प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब यथा–इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य प्रकार की लग्जरी वाहनों को उदार नीति से शेष अन्य प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के **10325** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **24–7–2010** तक टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि प्रकार की वाहनों के स्थाई परमिट के **130** प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'क'** में वर्णित है।

(2)–समस्त भारतवर्ष के ठेका बसः–

समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के **343** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **24–7–2010** तक समस्त भारतवर्ष के स्थाई ठेका बस परमिटों हेतु **04** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–12

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका यान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

'' ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो संविदा में सम्मिलित नहीं हैं, चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और

(ii) मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधि साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा– 71 की उपधारा– 3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचन नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा 74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर म प्रचालित होने वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।''

4— इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03—3—2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे। परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08—08—2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे तथा दिनांक 15—06—2005 की बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को केवल समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब वाहन परमिट स्वीकृत करने के अधिकार प्रदत्त किये गये।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30—04—2007 के अन्तर्गत अपने सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर नियमित बैठक होने तक हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

5— उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण को यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपनी बैठक दिनांक 15—04—2004 में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिट स्वीकृत करने विषयक नीति निर्धारित की थी कि **प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करने के उपरान्त ही आवेदक वाहन क्रय करेंगे तथा वित्त पोषक (फाईनेन्सर) बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित नहीं करेगा। परमिट स्वीकृत न होने की दशा में ऐसे वाहनों के अनधिकृत संचालन तथा फाईनेन्सर की देय किश्तों का भुगतान न करने की दशा में वाहन स्वामी के साथ—साथ वित्त पोषक भी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विक्रेता (डीलर) द्वारा वाहन तभी विक्रय की जाय जब तक प्रार्थी परमिट स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत न करे। यदि प्राधिकरण की उक्त नीति के विरूद्ध आवेदक स्वेच्छा से वाहन क्रय करते हैं, वित्त पोषक बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित करता है एवं डीलर वाहन विक्रय करता है तो प्राधिकरण ऐसे प्रार्थियों को परमिट स्वीकृत करने के लिए वाध्य नहीं होगा।** प्राधिकरण की उक्त नीति से सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ दिनांक 15—04—2004 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, जो दिनांक 16—04—2004 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं:—

(1)—<u>समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैबः—</u>

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम—1988 की धारा—74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब/जीप टैक्सी के **1586** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **24–7–2010** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिटों हेतु **62** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'ग'** में वर्णित है।

(2)–समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैबः–

समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के **5833** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **24–7–2010** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मैक्सी कैब परमिटों हेतु **870** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'घ'** में वर्णित है।

(3)–समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बसः–

समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के **5833** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **24–7–2010** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी ठेका बस परमिटों हेतु **25** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'च'** में वर्णित है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बसों को 09 वर्ष की मॉडल सीमा के प्रतिबन्ध के साथ एवं मैक्सी कैब/ठेका बसों के परमिटों पर ठेका गाड़ी के लिए अधिसूचित मार्गों को छोड़कर की शर्त एवं अन्य शर्तों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–70 में दी गई शर्त अधिरोपित की जाती हैं।

मद संख्या–13

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग हेतु प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर तक का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है। इस भाग पर परमिट रिट पिटीशन संख्या–3108/97 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों की अंतिम शर्त के प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत/जारी किए गये हैं। उत्तराखण्ड गठन से पूर्व सम्बन्धित मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित था तथा उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् इस मार्ग का हरबर्टपुर से शाकुम्बरी देवी तक के मार्ग का कुछ भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने से यह मार्ग अर्न्तराज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। यह मार्ग उत्तराखण्ड गठन से पूर्व निर्मित है। इस मार्ग पर पूर्व में जारी किये गये कतिपय परमिट धारकों के परमिट समाप्त हो जाने पर उनके द्वारा परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा नामंजूर करने के सम्बन्ध में मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–81 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

81- (2) A permit may be renewed on an application made not less than fifteen days before the date of its expiry.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Regional Transport Authority or the State Transport Authority as the case may be, entertain an application for the renewal of a permit after the last date specified in that sub-section if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making an application within the time specified.

(4) The Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, may reject an application for the renewal of a permit on one or more of the following grounds, namely:-

(a) the financial condition of the applicant as evidenced by insolvency, or decrees for payment of debts remaining unsatisfied for a period of thirty days, prior to the date of consideration of the application,

(b) the applicant had been punished twice or more for any of the following offences within twelve months reckoned from fifteen days prior to the date of consideration of the application commited as a result of the opeartion of a stage carriage service by the applicant, namely :-

(i) plying any vehicle -

(1) without payment of tax due on such vehicle;

(2) without payment of tax during the grace period allowed for payment of such tax and then stop the plying of such vehicle;

(3) on any unauthorised route;

(ii) making unauthorised trips;

Provided that in computing the number of punishments for the purpose of clause (b), any punishment stayed by the order of an appellate authority shall not be taken into account:

Provided further that no application under this sub-section shall be rejected unless an opportunity of being heard is given to the applicant.

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का तिमली से आगे शाकुम्बरी देवी वाया बेहट तक का भाग सहारनपुर (उत्तर प्रदेश राज्य) में पड़ने से यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। अर्न्तराज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा– (1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया है:–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other

State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the

Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित होने के कारण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिट धारकों की परेशानियों के दृष्टिगत मार्ग यूनियन/परमिट धारकों के अनुरोध पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–2–2009 एवं 23–10–2009 में प्रश्नगत मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण देहरादून–प्रेमनगर राष्ट्रीयकृत मार्ग भाग पर रिट पिटीशन संख्या–3108/97 में पारित आदेशों की अंतिम शर्त के साथ ***देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थान पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग (उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने मार्ग भाग को छोड़कर) पर उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक किया गया है।***

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के पश्चात देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं, जो वर्तमान में लागू हैं :–

Prima facie, it appears that in the absence of a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and the State of U.P. as required u/s 88(1) and (5) of the Motor Vehicles Act, 1988, the

advertisement issued for inviting applications for grant of permit on the route, namely, Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes appears to be without jurisdiction Consequently, till the next date of listing, the State Transport Authority respondent No.2 is restrained from granting any permit on Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes unless there exists a reciprocal agreement between the State Uttarakhand and State of U.P.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के लम्बित नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मार्ग के 07 परमिट धारकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या–396/2010 बालकिशन अग्रवाल व अन्य बनाम् राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड व अन्य दायर की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2010 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

The respondent No.4 i.e. State Transport Authority Uttarakhand, Dehradun is directed to take decisions on the application moved by the petitioners, annexed as annexure No.2 to the writ petition in accordance with law, expeditiously, preferably within a period of six weeks from the date of production of cerfified copy of this order.

The modification application stands disposed of finally.

(B.S.Verma, J.)
04-05-2010

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के रिट पिटीशन संख्या–396/एम0एस0/2010 बालकिशन और अन्य बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 04–05–2010 के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 14–07–2010 को याचीगणों के लम्बित नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हेतु निम्न आदेश पारित किये गयेः–

''मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–396/2010 में याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में अपने आदेश दिनांक 26–10–2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग प स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर रोक लगाई है, जो प्रभावी है।

अतः उक्त आवेदकों (याचीगणों) के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी 1533/83, 1534/10, 1536, 1535/71, 1078, 1530/125, एवं 1539 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने पर प्राधिकरण मामले पर पुनः विचार करेगी।''

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के उक्त आदेशों के पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के उत्तराखण्ड गठन से पूर्व के जारी किये गये परमिटों के नवीनीकरण के **11** प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। जिनका विवरण **परिशिष्ट–'छ'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–14

देहरूदन–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 एवं पीएसटीपी–1487 के नवीनीकरण के समय बढ़ाने के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

(1)– श्री प्रदीप कुमार एवं श्रीमती अर्चना त्यागी, निवासी सिनेमा गली, विकासनगर, देहरादून के नाम देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 है जो

दिनांक 08–09–2007 तक वैध था। उक्त परमिट पर वाहन संख्या–यूपी07एल–9568, मॉडल 1992 संचालित है। उक्त मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में आ जाने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (1) व (5) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाडी परिवहन करार लम्बित होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था तथा परमिट समाप्त हो जाने पर परमिट के रिक्त स्थान पर पारस्परिक परिवहन करार की प्रत्याशा में अस्थायी परमिट (पैन्डिंग रिन्यूवल) दिया जा रहा था, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2010 में मार्ग यूनियन एवं मार्ग के परमिट धारको द्वारा प्राधिकरण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य करार लम्बित होने की दशा में उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक करने का अनुरोध किया गया था। परमिट धारकों/मार्ग यूनियन के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर यात्रियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2009 के अनुपूरक मद संख्या–3 के क्रमांक–4 पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त उक्त परमिट का नवीनीकरण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थान पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग (उत्तर प्रदेश राज्य में पडने वाले मार्ग भाग को छोड़कर) उत्तराखण्ड की सीमा तक करते हुये स्वीकृत नवीनीकरण पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तो के साथ वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये दो माह के अन्दर प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे।

परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 14–10–2009 द्वारा अवगत कराया है कि फाइनेन्सर के साथ विवाद चलने के कारण प्राधिकरण द्वारा दी गई समयावधि के अन्दर वे स्वीकृत नवीनीकरण प्राप्त नहीं कर सके। उनके द्वारा अब उक्त

स्वीकृत नवीनीकरण का समय बढ़ाकर स्वीकृत नवीनीकरण वाहन संख्या–यूके07पीए–0661, मॉडल 2003 पर जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(2)– श्रीमती शशीबाला सब्बरवाल पत्नी श्री मदन लाल, निवासी 236, पटेल नगर, देहरादून के नाम देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1487 है, जो दिनांक 14–05–2009 तक वैध था। उक्त परमिट पर वाहन संख्या–यूपी07के–9199, मॉडल 1993 संचालित थी। उक्त मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में आ जाने के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (1) व (5) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था तथा परमिट समाप्त हो जाने पर परमिट के रिक्त स्थान पर पारस्परिक परिवहन करार की प्रत्याशा में अस्थायी परमिट (पैन्डिंग रिन्यूवल) दिया जा रहा था, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2010 में मार्ग यूनियन एवं मार्ग के परमिट धारकों द्वारा प्राधिकरण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य करार लम्बित होने की दशा में उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक करने का अनुरोध किया गया था। परमिट धारक/मार्ग यूनियन के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर यात्रियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28–02–2009 में उक्त मार्ग के कतिपय परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुये उक्त मार्ग के परमिट का नवीनीकरण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थान पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग (उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग को छोड़कर) उत्तराखण्ड की सीमा तक स्वीकृत किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड की सीमा तक करने पर परमिट धारक द्वारा दिनांक 24–02–2009 को उक्त मार्ग के परमिट संख्या–पीएसटीपी–1487 के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसको राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–18 के क्रमांक 9 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत करते हुये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थान पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग (उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग को छोड़कर) उत्तराखण्ड की सीमा तक स्वीकृत कर स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया गया था। प्रार्थिनी द्वारा प्राधिकरण द्वारा दी गई समयावधि के भीतर स्वीकृत नवीनीकरण प्राप्त न करने के कारण दिनांक 13–07–2010 को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके पति की तबियत खराब होने के कारण वे प्राधिकरण द्वारा दी गई समयावधि के अन्दर स्वीकृत नवीनीकरण प्राप्त नहीं कर सकी। अब उनके द्वारा स्वीकृत नवीनीकरण का समय बढ़ाते हुये स्वीकृत नवीनीकरण परमिट जारी करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण मामलों पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–15

राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–07–2003 के संकल्प संख्या–15 में आदेश पारित किए गये थे कि **''ओवरलोडिंग के प्रथम अपराध को प्रशमित किया**

जाय तथा द्वितीय एवं तृतीय अपराध में क्रमशः परमिट एवं लाईसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।'' प्राधिकरण के उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दो या दो से अधिक बार ओवरलोडिंग के अभियोगों में किये गये चालान, परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित् किये गये हैं।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

x x x

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहॉ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण,

यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में दिए गये प्राविधानानुसार प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से परमिट के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही हेतु 18 मामले प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–'ज'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–16

अन्य मद अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 का अनुपूरक मद–1

श्री रणजीत सिंह छाबड़ा पुत्र श्री गुरूचरन सिंह छाबड़ा निवासी मैसर्स रणजीत मोटर साइकिल एंडवेंचर, 582/1 लक्ष्मणझूला रोड़, ऋषिकेश के मोटर साइकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत मोटर साइकिल किराये पर देने के लाईसेंस जारी करने के प्रार्थना पर दिनांक 26–07–2010 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साइकिलों को उन व्यक्तियों को, जो अपने उपयोग के लिए मोटर साइकिल चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के व्यापार और इससे सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए योजना बनायी गयी है। यह योजना **''मोटर साइकिल किराया योजना स्कीम, 1997 है''** उक्त योजना अधिसूचना संख्या–एम0ओ0 375(ई), दिनांक 12–05–1997 से प्रभावी हो गयी है। उक्त योजना उन मोटर साइकिलों पर लागू होगी जिनको अधिनियम की धारा–74 की उपधारा–1 के अधीन परमिट जारी किया गया हो और जो पैरा–6 की शर्तो के अधीन चलायी जा रही हो।

इस योजना के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त करने वाले प्रचालक के पास धारा–74 की उपधारा–1 के अधीन 5 से अनधिक मोटर साइकिल के परमिट होने चाहिये। उक्त प्रकार की अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकरण करने के लिए योजना के बिन्दु संख्या–6 के अधीन एक लाईसेंस प्राप्त करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन प्ररूप–1 में उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन–प्राधिकारी को किया जायेगा, जिसके क्षेत्र में वह रहता है या उसके व्यापार का प्रमुख स्थान है और आवेदन के साथ रूपये 1,000–00 की फीस जमा करेगा।

उक्त योजना में मोटर साइकिल किराये पर देने का लाईसेन्स जारी करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को लाईसेन्सिंग अथारिटी अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र देने या नवीनीकरण से पूर्व पैरा–5 में दिए गये निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करना हैः–

(i) आवेदक का अच्छा नैतिक चरित्र है और उसे यात्री परिवहन व्यापार का गहरा ज्ञान है।

(ii) आवेदक के पास निवास, यानो की मरम्मत, स्वच्छता, व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष की सुविधा हो,

(iii) आवेदक के पास कम से कम एक टेलिफोन हो जो दिन रात उपलब्ध हो,

(iv) आवेदक के पास ऐसा वित्तीय साधन है, जो मोटर साइकिलों की लगातार संधारण के लिए और स्थापन की दक्ष व्यवस्था के लिए प्राप्त हो,

(v) आवेदक के पास 05 मोटर साइकिल से कम न हो, जो अधिनियम की धारा–74 की उपधारा (1) के अधीन जारी परमिटो से, बीमा, उपयुक्तता प्रमाण–पत्र और कर जमा के प्रमाण से आवृत्त हो।

आवेदक द्वारा उपरोक्त सभी प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व उपरोक्त बिन्दु पर जांच की जायेगी। जांच आख्या पूर्ण होने के उपरान्त स्कीम में दी गयी व्यवस्थानुसार आवेदक लाईसेंस जारी करने हेतु प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है तथा प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त लाईसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति पाये जाने के उपरान्त ही मोटर साइकिल किराये पर देने का लाईसेंस जारी करने का प्राविधान है। उक्त लाईसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिये दिये जाने का प्राविधान है।

मोटर साइकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत आवेदक को अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) जारी करते समय बिन्दु संख्या–8 में उल्लिखित शर्तो को अधिरोपित करने का प्राविधान है :–

(i) प्ररूप–3 में दिए विवरण के अनुसार प्रत्येक मोटर साइकिल के लिए एक अलग पृष्ठ सहित एक रजिस्टर रखेगा और जहां मोटर साइकिल किसी विदेशी को किराये पर दी जावे, तो प्ररूप–4 में उसका एक रजिस्टर रखेगा,

(ii) लाइसेंस देने वाले अनुज्ञापन–प्राधिकारी की लिखित में पूर्व–स्वीकृति लिए बिना लाइसेंस में दिए गए व्यापार के मुख्य स्थान को नहीं बदलेगा,

(iii) सब उचित समय पर अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा या अनुज्ञापन–प्राधकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, जो मोटरयान निरीक्षक से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, वह परिसर को तथा समस्त अभिलेख (रेकार्ड) और रजिस्टर को और मोटर साइकिलों को निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।

(iv) समय–समय पर अनुज्ञापन–प्राधिकारी को ऐसी सूचना और विवरणी (रिटर्न) पेश करेगा, जो उसके द्वारा मांगी जावे,

(v) अपने मुख्य कार्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में किसी खुले स्थान पर मूल लाइसेंस और उसकी प्रमाणित प्रतियां अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर प्रदर्शित करेगा,

(vi) अपने मुख्य कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों में किसी खुले स्थान पर एक ''शिकायत–पुस्तिका'' प्ररूप–5 मे रखेगा, जो क्रमांकित और तीन परतों में होगी। लाइसेंस–धारक शिकायत की दूसरी प्रति, यदि कोई हो, तुरन्त रजिस्ट्रीकृत डाक से अनुज्ञापन–प्राधिकारी को भेजेगा और किसी भी मामले में तीन दिन से अधिक की देरी नहीं करेगा।

(vii) मुख्य कार्यालय और शाखा–कार्यालयों में ''सुझाव पेटिका'' रखेगा और उसमें प्राप्त सुझावों को टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञापन–प्राधिकारी को महीने में एक बार भेजेगा।

उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत श्री रणजीत सिंह छाबड़ा पुत्र श्री गुरूचरन सिंह छाबड़ा द्वारा मोटर साइकिल किराये योजन स्कीम, 1997 की धारा–5 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र, मोटर साइकिलों के आर0सी0 की छायाप्रति, वर्कशॉप के फोटोग्रा, टेलिफोन नं0, सर्विस स्टेशन का मानचित्र संलग्न की है।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त एक प्रार्थना पत्र श्री सत्य प्रकाश सिंह सोलंकी पुत्र श्री मेघराज सिंह सोलंकी निवासी मं0नं0–180 शक्ति विहार, पो0 ओ0 बंजारावाला द्वारा भी उक्त योजना के अन्तर्गत मोटर साइकिल किराये पर देने का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है। जो अपूर्ण है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 के कार्यसूची के मद संख्या–15 का परिशिष्ट–''ज''

मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानों का विवरणः–

(1)– प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द, निवासी 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून के नाम देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग का स्थायी सवारी गाडी परमिट संख्या–278 है, जो दिनांक 04–10–2014 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या यूके07पीए–0501 मॉडल–2009 संचालित है। प्रार्थी की उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान थाना इंचार्ज सहसपुर द्वारा दिनांक 13–10–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– थाना इंचार्ज सहसपुर का चालान दिनांक 13–10–2009
(1) क्षमता से अधिक सवारी चालक सहित 64 व्यस्क एवं 5 बच्चे बैठे हैं।
(2) यातायात नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं।

परमिट धारक को उक्त चालान के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2915/एसटीए/दिनांक 31–10–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु वाहन स्वामी को इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र दिनांक 31–10–2009 द्वारा जो धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। वह अवितरित वापस प्राप्त हुआ है।

नोटः– उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2010 के अनुपूरक मद संख्या–2 के अन्तर्गत देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग (उत्तराखण्ड की सीमा तक) का स्थायी सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परमिट समय से प्राप्त न करने पर अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा

पारित आदेश दिनांक 25–09–2009 पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2009 को मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुये श्री विवेक कुमार टण्डन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या–1188/2010 पारित की गयी थी। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2010 को परमिट जारी करने के उक्त आदेशों पर अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है। जिसके अनुपालन में परमिट धारकों को परमिट कार्यालय में जमा करने तथा वाहनों का संचालन तत्काल बन्द करने हेतु पंजीकृत पत्र दिनांक 17–07–2010 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। साथ ही सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को भी वाहन का संचालन बन्द करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) श्री भुवन चन्द्र तिवाडी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ तिवाडी निवासी रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल के नाम रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाडी परमिट पीएसटीपी–53 है। जो दिनांक 07–01–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए04ए–7126 माडल 2003 संचालित है। परमिट पर संचालित उक्त वाहन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी ने अपने पत्र संख्या–1086/पांच–3–विविध/परमिट/08 दिनांक 12–03–2008 द्वारा अवगत कराया है कि **जिलापूर्ति अधिकारी, अल्मोडा द्वारा अपने पत्र संख्या–1532/जि0पू0अ0/पै0अनु0ई0न0जांच/2008 दिनांक 07–02–2006 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि उनके एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोडा द्वारा दिनांक 18–12–2007 को तथा उप जिलाधिकारी, सल्ट/भिक्यासैण द्वारा दिनांक 28–12–2007 को 08 वाहनों से ईंधन के नमूने लिए गये। उक्त नमूनों के वाहन स्वामियों तथा चालक–परिचालक के विरूद्ध थाना भतरौजखान में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। जिलापूर्ति अधिकारी, अल्मोडा ने अनुरोध किया है कि उक्त वाहन के परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।**

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी से प्राप्त सूचना के आधार पर वाहन स्वामी को इस कार्यालय के पत्र संख्या–981/एसटीए/पीएसटीपी–53/2008 दिनांक 12–05–2008 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 में

दिये गये प्राविधानानुसार ईंधन में मिलावट करके यात्रियों के जान–माल के साथ खिलवाड करते हुये परमिट शर्तो का उल्लघंन करने के अभियोग में धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण पर परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) श्री खजान चन्द्र पडलिया पुत्र श्री राधा बल्लभ पडलिया निवासी पनपौला, भिक्यिासैण, अल्मोडा के नाम रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाडी परमिट पीएसटीपी–72 है। जो दिनांक 31–08–2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूपी01–1266 माडल 1992 संचालित थी। परमिट पर संचालित उक्त वाहन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी ने अपने पत्र संख्या–1086/पांच–3–विविध/परमिट/08 दिनांक 12–03–2008 द्वारा अवगत कराया है कि **जिलापूर्ति अधिकारी, अल्मोडा द्वारा अपने पत्र संख्या–1532/जि0पू0अ0/पै0अनु0ई0न0जांच/2008 दिनांक 07–02–2006 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि उनके एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोडा द्वारा दिनांक 18–12–2007 को तथा उप जिलाधिकारी, सल्ट/भिक्यिासैण द्वारा दिनांक 28–12–2007 को 08 वाहनों से ईंधन के नमूने लिए गये। उक्त नमूनों के वाहन स्वामियों तथा चालक–परिचालक के विरूद्ध थाना भतरौजखान में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। जिलापूर्ति अधिकारी, अल्मोडा ने अनुरोध किया है कि उक्त वाहन के परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।**

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी से प्राप्त सूचना के आधार पर वाहन स्वामी को इस कार्यालय के पत्र संख्या–799/एसटीए/पीएसटीपी–72/2008 दिनांक 21–04–2008 को पंजीकृत डाक से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 में दिये गये प्राविधानानुसार ईंधन में मिलावट करके यात्रियों के जान–माल के साथ खिलवाड करते हुये

परमिट शर्तो का उल्लघंन करने के अभियोग में धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 08–05–2008 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जो निम्नवत है :–

1– यह कि उपरोक्त वाहन स्वामी खजानचन्द्र पडलिया द्वारा गढवाल मोटर यूनियन के माध्यम से संचालित कराया जाता था।

2– यह कि वाहन में दिनांक 28–12–2007 को जो ईंधन सम्बन्धी नमूना मुआयने के अनुरूप नहीं पाया गया, उस सम्बन्ध में प्रार्थी का कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है।

3– यह कि वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 18–12–2007 को वाहन को रवानगी के समय रामनगर में डीजल भरवाया गया था एवं उसके पश्चात् वाहन के भिक्यिासैण पंहुचने पर भी उसी तिथि को वाहन में डीजल भरवाया गया जिसके पर्चे संलग्न है।

4– जिला पूर्ति अधिकारी, अल्मोडा एवं अन्य के द्वारा डीजल का नमूना लिये जाते समय मात्र वाहन की टंकी से डीजल का नमूना लिया गया एवं पेट्रोल पम्प इत्यादि अन्य कहीं से कोई नमूना उस तिथि को नहीं लिया गया। जबकि वाहन स्वामी/प्राथ्री द्वारा पेट्रोल टैंक से डीजल भराया गया।

5– यह कि जिला पूअर्त अधिकारी, अल्मोडा द्वारा एतद्सन्दर्भ में की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपरान्त मामला स्वतः न्यायालय में विचारण हेतु हैं एवं जबरन फंसाये गये वाहन स्वामी इत्यादि को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, अल्मोडा द्वारा दिनांक 04–03–2008 को अपने आदेश में जमानत प्रदान की जा चुकी है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

6– यह कि जबतक पूरे मामले की एवं डीजल भरवाये जाने वाले पेट्रोल पम्पों की विधिवत जांच न करायी जाय तब तक यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि उपरोक्त प्रकरण में मालिक एकतर्फा किस तरह का दोषी है। कया डीजल पम्प से तेल भरवाना ही उसका दोष है– यह कहना गलत होगा कि मालिक के द्वारा द्वारा यात्रियों की जान माल के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड किया गया है। जबकि वाहन का संचालन कम्पनी/वाहन स्वामी द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन की भांति किया जाता रहा है।

7— यह कि उपरोक्त मामले में माननीय जिला सत्र न्यायालय, अल्मोडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी बनाये गये लोगों को जमानत प्रदान की जा चुकी है एवं मामला स्वतः न्यायालय के विचाराधीन है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में वाहन मालिक स्वामी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है एवं उसे झूठा जबरन फंसाया गया है एवं पेट्रोल पम्प मालिकों के ऊपर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है एवं न ही उनके नमूने उपरोक्त तिथि को लिये गये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मिलावट कहां से हुई एवं इसके लिए मुख्य रूप से दोषी कौन है। चूंकि मामला स्वतः न्यायालय के विचाराधीन है अतः प्रार्थी का परमिट रद्द करना एवं बिना सही जांच के उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं होगा।

(4) श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्राम व पो0 बडोनवाला, डाईवाला, देहरादून के नाम मोटरकैब परमिट संख्या—4/एसटीए/एलकेयू/यूए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 16—12—2010 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या—यूपी07एल—9212 माडल 2000 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 10—09—2009 एवं 09—11—2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :—

1— चालान दिनांक 10—09—2009
(1) डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया।
(2) 06 के स्थान पर 11 सवारी ले जा रहें हैं।
चालान अनिस्तारित।

2— चालान दिनांक 09—11—2009
(1) कर व अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं है।

(2) स्वीकृत 6 के स्थान पर 11 सवारी बैठी है। 05 सवारी अधिक है।
(3) परमिट मूल प्रति नहीं दिखायी है।
चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को इस कार्यालय के पत्र संख्या–04/एसटीए दिनांक 31–12–2009 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) श्री बचन सिंह रावत पुत्र श्री शेर सिंह रावत निवासी ग्राम बस्यूड, देवराजखाल, पौडी गढवाल के नाम मोटरकैब परमिट संख्या–338/एसटीए/यूए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 25–04–2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12–3955 माडल 2004 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 02–01–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 02–01–2010
(1) 06 के सापेक्ष कुल 10 व्यक्ति बैठाये पाये गये।
(2) चालक अपना वैध डी0एल0 नहीं दिखा सका।

नोट– क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में दो से अधिक चालान होने के कारण पूर्व में भी मामले को धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–14/13 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त 06 माह के लिए निलम्बन अथवा निलम्बन की अवधि का 5000–00 रूपया जुर्माना दिया था तथा साथ ही भविष्य के लिए सचेत किया गया था। उक्त परमिट पर संचालित वाहन का पुनः ओवरलोड के अभियोग में चालान किया गया।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/एसटीए दिनांक 15–04–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) श्री महिपाल सिंह बिष्ट पुत्र श्री पी0एस0बिष्ट निवासी भूजान, जिला अल्मोडा के नाम मोटर कैब परमिट संख्या–361/एसटीए/यूए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 15–02–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए01–0947 माडल 2002 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 26–08–2009 एवं 11–11–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 26–08–2009
(1) 10 के स्थान पर 13 सवारी ले जा रहें हैं, चालान अनिस्तारित।

2–चालान दिनांक 11–11–2009
(1) चालक कक्ष का पार्टीशन नहीं किया गया है।
(2) चालक कक्ष में क्षमता से 4 सवारी अधिक बैठी है।
(3) 10 के स्थान पर 13 सवारी बैठी पायी गयी।
(4) परमिट एवं डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है, चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–3217/एसटीए/09 दिनांक 01–12–2009 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) श्री नन्दादत्त बडथ्वाल पुत्र श्री गिरजादत्त बडथ्वाल निवासी ग्राम बडेथ पो0 ग्वील (सिलोगी) पौडी गढवाल के नाम मोटर कैब परमिट संख्या–1204/एसटीए/यूए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 09–10–2010 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूपी07एल–9563 माडल 2000 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 06–06–2009 एवं 04–01–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 06–06–2009
(1) कुल 6 के सापेक्ष कुल 13 व्यक्ति ले जा रहे हैं।
(2) ओवरलोड के कारण असुरक्षित संचालन किया जा रहा है।
(3) चालक के डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है, चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 04–01–2010
(1) 06 के सापेक्ष 09 सवारी ले जा रहे हैं।
(2) आर0पी0, आर0सी0 नहीं दिखायी।
(3) चालान 062894 का संज्ञान नहीं लिया गया, चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–860/एसटीए दिनांक 15–04–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक ने दिनांक 10–05–2010 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि मैं जनवरी, से अस्वस्थ दशा में चल रहा हूँ और बाहर इलाज के लिए गया था। आपका पत्र 680 दिनांक 12 का प्राप्त हुआ। मेरी टैक्सी यूपी07एल–9563 का दीवार चालान

हुआ एक बार आर0सी0 चालक ने खो दी थी। जिसे मैं दुबारा बनाया लाया हूँ। दूसरा चालान नं0–3 सवारियों में हुआ था। इस बीच दोनों चालको को निकाल दिया।

मैं अस्वस्थ दशा में चालान का भुगतान नहीं कर सका। भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं करूंगा।

(8) श्री अनुप कुमार खडकवाल पुत्र श्री ज्योति प्रसाद निवासी सिताबपुर, देवी रोड, कोटद्वार, पौडी गढवाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–314/एसटीए है। जो समस्त भारतवष के मार्गो हेतु दिनांक 16–03–2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12–6808 माडल 2006 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 27–05–2009, 22–07–2009 एवं प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 15–03–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 27–05–2009

(1) 10 के स्थान पर 15 व्यक्ति ले जा रहें है अतः 5 व्यक्ति अधिक हैं।
(2) वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके।
(3) अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं दिखा सके।
(4) चालक के डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 22–07–2009

(1) किराया तालिका प्रदर्शित नहीं है।
(2) चालक कक्ष में पार्टिशन नहीं है।
(3) परमिट शर्तो के विरूद्ध लालबत्ती चौराहे से सवारियों का ढुलान करते पाये गये।
(4) वैध मार्ग परमिट नहीं दिखा सके। चालान निस्तारित।

3–चालान दिनांक 15–03–2010

(1) 10 के सापेक्ष 12 व्यक्ति ले जा रहें हैं।

(2) **ओवर लोड के कारण असुरक्षित संचालन।**
(3) **वैध फार्म 47 नहीं दिखाया। चालान अनिस्तारित।**

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–430/एसटीए दिनांक 09–03–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(9) श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी 13/11 बॉडीगार्ड, देहरादून के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–6152/एसटीए है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 09–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07एस–9674 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 18–05–2008 एवं 19–11–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 18–05–2008
(1) **स्वीकृत 10 के स्थान पर 11 सवारी ले जा रहें हैं।**
(2) **डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया गया। चालान निस्तारित।**

2–चालान दिनांक 19–11–2009
(1) **10 के सापेक्ष 11 सवारी ले जा रहे हैं।**
(2) **अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं दिखाया। चालान अनिस्तारित।**

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1375/एसटीए दिनांक 22–05–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(10) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूकम सिंह निवासी ग्रा0 अमपुर काजी, पो0 इकबालपुर, हरिद्वार के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–6247/एसटीए है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 26–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07एस–1319 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 28–01–2009, 18–08–2009, 09–10–2009 एवं 11–12–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 28–01–2009
(1) चालक कक्ष में 3 सवारियां ले जा रहे हैं।
(2) डी0एल0 निलम्बन की संस्तुति की जाती है।
(3) म्यूजिक सिस्टम लगा है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 18–08–2009
(1) 10 के सापेक्ष 11 सवारी ले जा रहे हैं।
(2) जुलाई 2009 के पश्चात् का देय अतिरिक्त कर देय है।
(3) प्रदुषण प्रमाण पत्र दिनांक 05–07–2009 को समाप्त है। चालान अनिस्तारित।

3–चालान दिनांक 09–10–2009
(1) स्वीकृत 10 के स्थान पर चालक सहित 11 व्यक्ति बैठे पाये गये।
(2) चालक कक्ष में पार्टिशन नहीं है।
(3) दिनांक 18–08–2009 का चालान निस्तारित नहीं किया। चालान अनिस्तारित।

4–चालान दिनांक 11–12–2009
(1) स्वीकृत 10 के स्थान पर 11 सवारी ले जा रहे हैं।
(2) कर/अतिरिक्त जमा का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
(3) चालान सी0जी0एम0 न्यायालय, पौडी भेजा गया है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–90/एसटीए दिनांक 12–01–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(11) श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी कपकोट, बागेश्वर के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–974/एसटीए है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 29–11–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए02–0482 माडल 2002 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ द्वारा दिनांक 03–01–2005 एवं पुलिस द्वारा दिनांक 10–10–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 03–01–2005

(1) 10 के स्थान पर 11 व्यक्ति ले जाते पाये गये।
(2) फ्रन्ट में चालक सीट का पार्टीशन नहीं है।
(3) वाहन में टेपरिकार्ड लगा है।
(4) सीट बैल्ट नही लगी है।
(5) चालक का डी0एल0 पांच वर्ष पुराना नहीं है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 10–10–2009

(1) वाहन में दोषपूर्ण नम्बर प्लेट लगी है।
(2) 15 सवारी अधिक बैठी पायी गयी जबकि वाहन 10 सवारी में पास है।
(3) असुरक्षित संचालन। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–3040/एसटीए दिनांक 16–11–2009 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जो अवितरित वापिस प्राप्त हुआ है।

(12) श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह निवासी ग्राम फलासी, रूद्रप्रयाग के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–1081/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 04–06–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07ई–5948 माडल 2003 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 26–11–2009, 29–01–2010 एवं 14–02–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 26–11–2009
(1) 10 के स्थान पर 11 सवारी ले जा रहे हैं।
(2) आर0सी0, एफ0सी0, आर0पी0 नहीं दिखाया। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 29–01–2010
(1) कुल 10 के सापेक्ष 13 व्यक्ति ले जाते हुये ओवरलोड के कारण असुरक्षित संचालन करते पाये गये।
(2) चालक का डी0एल0 05 वर्ष पुराना नहीं है।
(3) डी0एल0, परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। चालान अनिस्तारित।

3– चालान दिनांक 14–02–2010
(1) 10 के स्थान पर 13 व्यक्ति ले जा रहें है।
(2) ओवरलोड के कारण असुरक्षित संचालन करते पाये गये।
(3) आर0पी0, डी0एल0 की संस्तुति की जाती है।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1369/एसटीए दिनांक 22–05–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(13) श्री नौबार सिंह नेगी पुत्र श्री उम्मेद सिंह नेगी निवासी ग्राम नौली पो0 तोली पट्टी–कपीलस्यूँ जिला पौड़ी गढ़वाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–2545/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 13–08–2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12ए–1942 माडल 2006 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 15–01–2009 एवं पौड़ी द्वारा दिनांक 30–10–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–स0स0 प0 अ0 कोटद्वार चालान दिनांक 15–01–2009
(1) 10 के स्थान पर 12 व्यक्ति ले जा रहे है, ओवर लोड के कारण असुरक्षित संचालन करते पाये गये।
(2) चालक का डीएल 5 वर्ष पुराना नही है।
(3) चालक के डी एल के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।
चालान निस्तारित।

2–स0स0प0अ0 पौडी चालान दिनांक 30–10–2009
(1) 10 के स्थान पर 13 यात्री ले जा रहे है
(2)परमिट प्रस्तुत नही किया
चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1339/एसटीए दिनांक 15–05–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक द्वारा अपना स्पस्टीकरण प्रस्तुत किया है जो निम्नवत हैः–

1– वाहन संख्या यूए12ए 1942 में चालान को कम्पाउड करना चाहते हैं

2– ओबर लोडिग से सम्बन्ति चालानें का भुगतान करना चाहते हू।

3– एसटीए बैठक में मामल की सुनवायी एवम आर्थिक दण्ड भी स्वीकारना चाहता हू।

4–चालक कोमल सिह लाइसेन्स के सम्बन्ध में भी कार्यवाही एवंम सुनवायी चाहते है।

साथ ही अधिक सवारी ले जाने का स्पष्टीकरण एसटीए की बैठक में प्रस्तुत करना चाहते है।

नोट– ओवर लोडिग के पूर्व में भी 02 से अधिक चालान होने के कारण परमिट के विरूद्व धारा 86 की कार्यवाही हेतु मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त भविष्य के लिए सचेत करते हुए रू0–3000 शुल्क निर्धारित किया गया था परमिट धारक द्वारा पुनः ओवर लोडिग के अभियोग दो से अधिक चालान किये गये।

(14) श्री सतेन्द्र सिह पुत्र श्री हंस राम निवासी ग्राम सिम्मल चौड पो0 पदमपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–3972/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 07–02–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12–8660 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 17–11–2008 एवं दिनांक 28–8–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 17–11–2008

(1) चालक कक्ष में तीन सवारी ले जा रहे है।

(2) चालक कक्ष में विभाजन नहीं है।

(3) वैध प्रदूषण नहीं दिखाया।
(4) 10 के स्थान पर 12 सवारी ले जा रहे है।
(5) वर्तमान त्रेमास का कर/अति0 कर जमा नहीं है।
चालान निस्तारित।

2– चालान दिनांक 29–8–2009
(1) 10 के स्थान पर 14 व्यक्ति लेजा रहे है।
(2) प्रदूषण दिनाक 02–8–2009 को समाप्त हो गया है।
(3) डी0एल0 निलम्बन की संस्तुति की जाती है।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–433/एसटीए दिनांक 09–3–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(15) श्री विरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जीत सिंह निवासी ग्रस्टनगन्ज किम्भूचौड, कोटद्वार, जिला पौडी गढवाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–4370/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 21–09–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके12टीबी–140 माडल 2008 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 25–9–2008 एवं दिनांक 16–4–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 25–9–2008
(1) 10 के स्थान पर 11 सवारी ले जा रहे है।
चालान सी0जे0एम0 पौडी के न्यायालय में भेजा गया।

2–चालान दिनांक 16–4–2010

(1) प्रदूषण प्रमाण नहीं है।

(2) 10 के स्थान पर 12 सवारी ले जा रहे है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1134/एसटीए दिनांक 01–5–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(16) श्री महावीर सिंह नेगी पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी निकट पैट्रोल पम्प, कोटद्वार रोड, पौडी के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–4415/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 17–11–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके12टीए–133 माडल 2008 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 19–5–2009 एवं दिनांक 10–10–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 19–5–2009

(1) 10 के स्थान पर 14 सवारी लेजा रहे है। 4 सवारी ओवरलोड है।

(2) चालक कक्ष में 04 सवारी ले जा रहे है।

(3) परमिट व डीएल के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

2–चालान दिनांक 10–10–2009

(1) 10 के स्थान पर 14 सवारी ले जा रहे है।

(2) चालन चप्पल पहन कर वाहन चलाता पाया गया।

(3) वाहन में गुठका नहीं है।

(4) दिनांक 19–5–2009 के चालान का निस्तारण नहीं किया गया है।
(5) परमिट व डीएल के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2874/एसटीए दिनांक 26–10–2009 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(17) श्री अमरदीप पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी नजीबाबाद रोड, नया गांव कोटद्वार के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–4967/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 24–4–2014 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूपी11एन–3573 माडल 2005 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 28–8–2009 एवं दिनांक 24–9–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 28–8–2009
(1) चालक कक्ष में पाटीशन नहीं लगा है।
(2) किराया तालिका प्रदर्शित नहीं है।
(3) चालक वैध डीएल नहीं दिखा सका।
(4) 10 के स्थान पर 13 व्यक्ति ले जा रहे है। ओवरलोड के कारण असुरक्षित संचालन करते पाये गये। परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

2–चालान दिनांक 24–9–2009
(1) 10 के स्थान पर 12 सवारी ले जा रहे है।
(2) चालक कक्ष में चालक सहित 4 व्याक्ति। ओवरलोड के कारण असुरक्षित संचालन करते पाये गये।
(3) चालक कक्ष में पार्टीशन नहीं लगा है।
(4) चालक अपना डीएल नहीं दिखा सका।

(5) चालान दिनांक 28–8–2009 का भुगतान नहीं कराया। परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–72/एसटीए दिनांक 10–01–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(18) श्री प्रेम चन्द्र पुत्र श्री बिसम्बर सिंह निवासी मकान नं0 78 सुल्तानपुर आदमपुर, तह0 लक्सर जिला हरिद्वार के नाम ठेका बस परमिट संख्या–353/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 24–7–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूपी78टी–9055 माडल 2001 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 06–01–2010 एवं दिनांक 31–3–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 06–01–2010

(1) 15 के स्थान पर 25 व्यक्ति बैठे है।
(2) आर0सी0 व आर0पी0 की मूल प्रति नहीं है। चालान अनिस्तारित।

2–चालान दिनांक 31–3–2010

(1) आर0सी0, आर0पी0, आई0सी0, एफ0सी0, अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं दिखा सके।
(2) गाडी में कुल 25 व्यक्ति लेजाते पाये गये। ओवरलोड का पता आर0सी0 को देख कर लग सकेगा।
(3) डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।
चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1377/एसटीए दिनांक 22–5–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकारण की बैठक दिनांक 30–07–2010 की कार्यसूची के मद संख्या–13 का परशिष्ट ''छ''

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नियमावली 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) के नियम 81 में दिये गये प्राविधानुसार देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	परमिट संख्या, वैद्यता एवं वाहन संख्या	परमिट धारक का नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्ती की तिथि	समय से अथवा विलम्ब से	अन्य विवरण
1	1072/115 19–07–2009 यूए 07 बी–6279	श्री चन्द्र प्रकाश ग्रोवर पुत्र श्री हरनाम दास ग्रोवर निवासी होस्पीटल रोड विकासनगर देहरादून ।	29–05–2009	समय सें	–
2	1524 13–03–2010 यूपी 07के–9147	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जय सिंह निवासी 191/15/13 धर्मपुर द्वितिय देहरादून।	08–09–2009	समय से	–
3	1521 07–03–2010 यूए 07 एम–7036	श्री किशन चन्द पुत्र श्री ज्योती प्रसाद निवासी ग्राम व पो0 हर्बटपुर देहरादून।	18–02–2010	समय सें	**1– निरीक्षक, यातायात, पुलिस लाईन देहरादून का चालान दिनॉक** 09–01–2007 (1) वाहन मे चालक सहित 112 सवारी बैठ थी, जबकि वाहन 55 सीट में पास है, वाहन में 57 सवारी ओवरलोड है। चालान निस्तारित। **2– चालान दिनॉक 28–04–2009** (1)– वाहन मे 30 सवारी बैठी है, परिचालक द्वारा सवारियों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। (2) कर तथा अति0 कर जमा प्रमाण

					पत्र नहीं दिखाया। (3) स्वास्थता प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। (4) परिचालक ने कन्डक्टरी लाईसेंस नहीं दिखाया। (5) बीमा प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। **चालान अनिस्तारित।**
4	1526/75–एसटीए 15–03–2010 पीबी 13जी–5517	श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरी किशन अग्रवाल निवासी 14/2 ईस्ट रेस्ट कैम्प चन्दर नगर देहरादून।	15–02–2010	समय से	–
5	1537/87/एसटीए 24–03–2010 पीबी 30बी–2578	श्री सईद अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद निवासी रामपुर देहरादून।	09–03–2010	समय से	–
6	1538 24–03–2010 यूपी 07 के–9550	श्री योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामानन्द निवासी सेलाकुई देहरादून।	26–10–2009	समय से	प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 28–02–2009 मे धारा 86 के अन्तर्गत निर्धारित **प्रशमन शुल्क रू0 5,000 जमा नही किया गया हैं।**
7	1541/72–एसटीए 28–03–2010 यूपी 07एफ–8278	श्री मोहम्मद आलम पुत्र श्री नेक मोहम्मद निवासी फतेहपुर हर्बटपुर देहरादून।	15–03–2010	02 दिन विलम्ब से प्राप्त	–
8	1543 29–03–2010 एचपी 67–0194	श्रीमती सन्तोष भाटिया पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र भाटिया निवासी 3/9/4 प्रेमनगर देहरादून।	24–08–2009	समय सें	–
9	1546 29–03–2010 यूपी 07एच–0041	श्री के0 एल0 भाटिया पुत्र श्री जी0पी0 भाटिया निवासी विंग नं 3 बी0के0 914 प्रेमनगर	02–03–2010	समय से	–

		देहरादून।			
10	1547 29—03—2010 यूए 07बी—6311	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपी चन्द्र निवासी 14 अखाडा मोहल्ला देहरादून।	24—10—2009	समय से	—
11	1775 31—01—2010 यूए 12—5268	श्री एन0पी0 शर्मा पुत्र श्री पारस राम निवासी रेस्ट कैम्प त्यागी रोड देहरादून।	14—10—2009	समय से	—

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–

1– श्री एस0रामास्वामी, आई0ए0एस0 — अध्यक्ष।
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

2– श्री प्रेम सिंह खिमाल, — सदस्य।
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

3– श्री ललित मोहन, — सदस्य।
मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

4– श्री जतिन्द्र पाल सिंह चड्ढ़ा, — सदस्य।
सन्त निवास, काठगोदाम,
हल्द्वानी, जिला– नैनीताल।

5– श्री विनोद शर्मा, — सचिव।
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

———————————————————

संकल्प संख्या–01

मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 की कार्यसूची में पारित आदेशों का पुष्टिकरण किया गया।

संकल्प संख्या–02

मद संख्या–02 (अ), (ब), (स) एवं (द) के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1998 के नियम–57 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

संकल्प संख्या–03

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार मद संख्या–3 के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के कुल **185** मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत परमिटों के हस्तान्तरण के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

संकल्प संख्या–04

मद संख्या–4 में उल्लिखित रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–**56, 57, 59, 60, 61 एवं 141/60** के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

संकल्प संख्या–05

मद संख्या–5 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–15 में स्वीकृत समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब/ठेका बस एवं मद संख्या–16 के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब/मैक्सी कैब/ठेका बस परमिटों की समयावधि मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि में समाप्त हो गयी थी। हड़ताल अवधि के समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब 47, ठेका बस 02 एवं समस्त उत्तराखण्ड मोटर कैब 62 व ठेका बस के 16 कुल 127 प्रकरणों के सम्बन्ध में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण की नियमित बैठक में अनुमोदन की शर्त पर पारित आदेश दिनांक 11–03–2010 का अनुमोदन किया गया।

संकल्प संख्या–06

मद संख्या–06 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों में म्यूजिक सिस्टम न लगाने वाहन चालक का लाईसेन्स पांच वर्ष पुराना होने, चालक केबिन में पार्टीशन लगा होने व वाहन में लकड़ी का गुटका होने की शर्त हटाने सम्बन्धी श्री राजेश कुमार, तायल टूर एण्ड ट्रैवल्स, हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश के प्रत्यावेदन दिनांक 08–4–2010 को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1– प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचार करने से पूर्व श्री राजेश कुमार तायल को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर वह अनुपस्थित पाये गये। इसी सन्दर्भ में वाहन यूनियनों के अन्य पदाधिकारी श्री अतुल सिंघल एवं श्री सुधीर कुमार जैन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि वर्तमान समय में वाहन निर्माताओं द्वारा अच्छी से अच्छी लग्जरी वाहनें बाजार में विक्रय की जा रही हैं। इन वाहनों में सवारी बैठने से पहले म्यूजिक सिस्टम आदि की मांग करती हैं। वाहनों में म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा होने पर सवारियां नहीं बैठती हैं, इससे हमारी रोजी–रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों में कार्यरत चालक व्यवहार कुशल एवं शीक्षित हैं। उन्हें गाड़ी चलाते समय म्यूजिक न बदलने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। वाहनों में म्यूजिक सिस्टम लगे होने पर यात्रियों द्वारा की गयी म्यूजिक सिस्टम मांग की पूर्ति के साथ–साथ वाहन स्वामी को भी यात्री मिलने से आर्थिक लाभ होगा। श्री सिंघल द्वारा लग्जरी टूरिस्ट वाहनों में म्यूजिक सिस्टम की अधिरोपित शर्त को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

2– श्री सुधीर कुमार जैन द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पांच वर्ष से कम लाईसेंस धारक चालक को व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी उक्त शर्त से चालक के पास व्यावसायिक लाईसेन्स होने के पश्चात् भी वाहन का संचालन नहीं कर सकता है। उक्त प्रकार की शर्त लगाने से चालकों में रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है और इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। 05 वर्ष से अधिक व्यवसायिक लाईसेन्स वाला चालक न मिलने वाहन खड़ी करनी पड़ती है। इससे वाहन स्वामियों को आर्थिक हानि भी हो रही है। उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय राज्य है इस राज्य का 05 वर्ष से कम पुराना व्यवसायिक लाईसेन्स वाला चालक वाहन नहीं चला सकता है तथा अन्य प्रदेशों के लाईसेंसिंग अधिकारियों द्वारा जारी व्यवसायिक लाईसेन्स धारक राज्य के समस्त मार्गो पर वाहनों का संचालन कर सकता है। यह नीति

व्यवहारिक नहीं है। श्री जैन द्वारा 05 वर्ष से कम पुराना लाईसेन्स धारक व्यवसायिक वाहन सेवायोजित नहीं करेगा की शर्त समाप्त की जाती है, तो पर्यटन के साथ–साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य का 05 वर्ष कम पुराना लाईसेन्स धारक भी बिना किसी बाध्यता के व्यवसायिक वाहन को चला सकेगा। श्री जैन द्वारा प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त श्री अतुल सिंघल द्वारा प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया कि निर्माताओं द्वारा निर्मित मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों में जो पार्टीशन रॉड लगाने की शर्त लगायी गयी है। इससे चालक को गियर बदलने में दिक्कत होती है और लग्जरी वाहनों की आरामदायकता भी समाप्त होने के साथ–साथ दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। श्री सिंघल द्वारा चालक कैबिन में पार्टीशन रॉड के स्थान पर बकैट सीट का सुझाव दिया गया।

प्राधिकरण द्वारा श्री अतुल सिंघल, श्री सुधीर जैन एवं श्री राकेश कुमार तायल, तायल टूर एण्ड ट्रैवल्स, हरिद्वार रोड ऋषिकेश द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15–07–2003, दिनांक 10–11–2004 एवं दिनांक 24–03–2007 में अधिरोपित की गयी कतिपय शर्तो का राज्य के वाहन स्वामियों से तो अनुपालन कराया जा रहा है, परन्तु अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के परमिट पर इस राज्य द्वारा अधिरोपित की गयी शर्ते लागू न होने के कारण उपरोक्त प्रकार की शर्तो के अनुपालन में हो रही विधिक कठिनाईयों के दृष्टिगत राज्य में एकरूपता लाने एवं पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2(गगपप), धारा–74 की उपधारा–2(पग), धारा–76 की उपधारा–3(पपप) एवं धारा–79 की उपधारा–2(अपप) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राज्य के भीतर सभी वाहनों पर समान नीति लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित की गयी शर्तो में निम्न संशोधन किया जाता है :–

1– टूरिस्ट वाहनों के सम्बन्ध में मोटर कैब/मैक्सी कैब की स्थिति में वाहन के चालक द्वारा वाहन के गतिमान होने की दशा में तत्समय टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि का संचालन नहीं किया जायेगा।

2– टूरिस्ट बसों के सम्बन्ध में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि टेपरिकार्डर/सीडी प्लेयर आदि के संचालन की व्यवस्था बस में परिचालक के पास होगा।

3– 05 वर्ष से अधिक पुराने लाईसेन्स धारक ही वाहन का संचालन कर सकता है, सम्बन्धी शर्त को हटाया जाता है परन्तु यात्री वाहनों का संचालन करने वाले चालकों के चालक लाईसेन्सों का नवीनीकरण के समय सम्बन्धित चालक द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।

4– **''सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों में लकड़ी का गुटका अनिवार्य रूप से रखा जायेगा''** विषयक शर्त यथावत लागू रहेगी।

5– टूरिस्ट वाहनों यथा टैक्सी/मैक्सी में वाहन के अग्रभाग में चालक एवं यात्री हेतु दो बैकेट सीट लगायी जांये। अतः पूर्व में चालक केबिन में पार्टीशन रॉड अनिवार्य किया गया था, अब इस शर्त में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जाय तथा जिन वाहनों द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा हो, ऐसे वाहनों को बन्द करने की कार्यवाही के साथ ही

परमिट निरस्तीकरण/निलम्बन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को भेजा जाय। उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाय।

संकल्प संख्या–07

मद संख्या–07 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं माल भाड़े की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या–619/पग/166/2005 दिनांक 17–01–2005 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) (घ) (1) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के व्यवसायिक वाहन यूनियनों/संस्थाओं/संगठनों एवं जन–सामान्य से यात्री किराया एवं माल भाड़े की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों का अवलोकन किया गया।

बैठक के दौरान मैसर्स जी0एम0ओ0यू0लि0, के0एम0ओ0यू0लि0 एवं यातायात पर्यटन विकास सहकारी संघ, ऋषिकेश प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकरा गया। पुकराने पर अनुपस्थित पाये गये। तद्पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर एसोसिएशन के प्रतिनिधि सर्व श्री एस0के0श्रीवास्तव, अतुल कुमार सिंघल, सुधीर कुमार जैन, किशन कुमार अग्रवाल आदि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। श्री अतुल सिंघ द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वर्ष 2005 में प्राधिकरण द्वारा जो किराया निर्धारित किया गया है वह भी न के बराबर है। वर्तमान में बढ़ती हुयी मंहगाई को देखते हुये मोटर पाटर्स, टायर, पेट्रोल–डीजल एवं चालक–परिचालक आदि का पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी हुयी है। जबकि किराया में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है। जिससे वाहन स्वामियों को आर्थिक हानि हो रही है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2005 से अब तक जब–जब डीजल के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुयी है। उसी

के अनुपात में किराया बढ़ा दिया गया है। श्री सिंघल द्वारा नगर बसों के किराये के सम्बन्ध में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुये नगर बस सेवा का किराया वर्ष 2005 में निर्धारित किया गया था। उस समय प्रथम स्लैब में कोई बढ़ोत्तरी न करते हुये केवल रुपया 3—00 ही न्यूनतम किराया तय किया गया था। चूंकि अब मंहगाई में दिनो—दिन वृद्धि हो रही है और मोटर पार्टर्स, पेट्रोल, डीजल का मूल्य वर्ष 2005 रुपया 32—00 प्रतिलीटर था। अब रुपया 40—00 से अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम स्लैब को रुपया 5—00 करते हुये प्रत्येक स्लैब में भी उसी अनुपात में वृद्धि की जाय। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम भी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा निजी वाहन स्वामियों के मंजिली गाड़ियों का यात्री किराया निगम के किराये के बराबर करते हुये देहरादून—डोईवाला मार्ग पर संचालित नगर बसों का किराया निगम के यात्री बसों से अधिक नहीं होने का तर्क प्रस्तुत किया।

विक्रम जनकल्याण सेवा समिति की ओर से श्री सतीश शर्मा उपस्थित हुये उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2008 में जो किराया बढ़ाया गया था, उससे हमे कोई फायदा नहीं हुआ है। कम से कम रुपया 5—00 किराया निर्धारित होना चाहिये जिससे नगर बसों से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जायेगी।

श्री एस0के0श्रीवास्तव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की गयी रिट पिटीशन संख्या—1178 ऑफ 2010 (एम0एस0) देहरादून—विकासनगर मोटर एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26—07—2010 की प्रति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैंः—

ष्जीपे बेंम ूं सपेजमक वद 12ण्07ण्2010 ंदक वद जींज कंजम जमद कंले जपउम ूं हतंदजमक जव जीम समंतदमक ठतपमि भ्वसकमत वित जीम ैजंजम जव पिसम बवनदजमत ंिपिकंअपजण ज्वकंलए ैतप छण्ब्ण्ैीए समंतदमक ैजंदकपदह ब्वनदेमस वित जी पदवितउमक जीम ब्वनतज जींज दव बवनदजमत ंिपिकंअपज ीं इममद पिसमक इनज ीम ीं तमबमपअमक पदेजतनबजपवदे तिवउ जीम ैमबतमजंतलए ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए क्मीतंकनद पद ूीपबी पज ीं इममद पदवितउमक जींज जीम उंजजमत व ि जीम

चमजपजपवदमते ेंसस इम ंमचज पद जीम उममजपदह ूपबी पे हवपदह जव इम ीमसक वद 30ण्07ण्2010ण् प्द अपमू वि जीम ेजंजमउमदज वि ीतप छण्ज्ञण्ैीए समंतदमक ेजंदकपदह ब्वनदेमस वित जीम ेजंजम दव नितजीमत वतकमत पे तमुनपतमक जव इम जीम ेजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजलए क्मीतंकनद पे कपतमबजमक जव बवदेपकमत जीम उंजजमत वि जीम चमजपजपवदमते पद ंबबवतकंदबम ूपजी सूं पद दमगज उममजपदह ूपबी पे ेबीमकनसमक जव इम ीमसक वद 30ण्07ण्2010ण्

ॅपजी जीमेम कपतमबजपवदेए जीम ूतपज चमजपजपवद पे कपेचवेमक वणि

।क.प्दजमतपउ ंदकंउने ंचचसपबंजपवद दवण् 5538 वि 2010 ंसेव ेजंदके कपेचवेमक वणि

श्री एस0के0श्रीवास्तव द्वारा निजी बसों के यात्री किराये व उत्तराखण्ड परिवहन निगम के किराये की दरों में समानता की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया। निजी आपरेटर द्वारा प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 2005 की तुलना में मूल्य वृद्धि, स्पेयर पार्टस, पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कहा गया है परन्तु प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005 के उपरान्त 2008 में भी यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि की गयी है। जहां तक परिवहन निगम और निजी परिवहन व्यवसायियों के बराबर किराये का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम, ''सडक परिवहन निगम अधिनियम, 1950'' के अन्तर्गत सृजित राज्य सरकार का उपक्रम है। परिवहन निगम और निजी आपरेटरों के संचालन, अवस्थापकीय सुविधाएं, कर्मचारियों का वेतन–भत्ते, यात्रियों की सुविधाओं आदि में निम्न प्रकार भिन्नता हैः–

1– उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य में भिन्न–भिन्न स्थानों पर डिपो/कार्यशाला/बस स्टेशन बनाये गये है, जबकि निजी आपरेटर्स द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है।

2– परिवहन निगम की बसों की आयु सीमा 07 वर्ष निर्धारित की गयी है जबकि निजी आपरेटर्स की बसों का संचालन पर्वतीय मार्गो पर 15 वर्ष एवं मैदानी मार्गो पर 20 वर्ष तक किया जाता है।

3– परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को राज्य सरकार की भॉति वेतन एवं भत्ते प्रदान किये जाते हैं, जबकि निजी आपरेटर्स द्वारा इससे कहीं कम दरों पर वेतन का भुगतान किया जाता है।

4– उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं निजी आपरेटर्स की वाहनों में कर की देयता का फार्मुला भी भिन्न–भिन्न है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वाहनें आय का 21/121 के आधार पर अतिरिक्त कर का भुगतान किया जाता है जबकि निजी आपरेटर्स द्वारा नियत दर (4500 किमी0 तक रूपये–146.00 प्रतिसीट प्रति त्रैमास एवं 154.00 प्रति सीट प्रति त्रैमास) पर अतिरिक्त कर का भुगतान किया जाता है।

5– उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये जहॉ एक ओर महालेखाकार आडिट, चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा आडिट की बाध्यता हैं वहीं दूसरी ओर परिवहन निगम को प्रतिवर्ष अपने आय–व्ययक का ब्यौरा विधान सभा के पटल पर रखने की भी बाध्यता है।

6– यदि निजी व्यवसायियों/कम्पनियों का कराधान यदि आय पर आधारित किया जाना है, तो निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक होगीः–

(1) निजी व्यवसायी/कम्पनी द्वारा दाखिल की गयी आयकर रिटर्न को आधार बनाकर करों की गणना की जाए।

(2) वाहनों का संचालन सम्पूर्ण मार्ग पर किया जा रहा है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक वाहन में जीपीएस सिस्टम की स्थापना की जाये, जिस पर आने वाले व्यय, निजी वाहन स्वामी/कम्पनी द्वारा वहन किया जाये।

(3) क्या निजी बसों में कण्डक्टर सरकारी होगा अथवा वाहनों में ई–टिकटिंग मशीनों की स्थापना की जायेगी, जिस हेतु भुगतान भी निजी व्यवसायी/कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(4) श्रम विभाग से यह ज्ञात किया जाये कि जीएमओयू के बस बेडे में लगभग 1064 बसें हैं। क्या इनके चालक/परिचालक जीएमओयू के कर्मचारी हैं ? इसी प्रकार टीजीएमओयू, के0एम0ओ0यू0 एवं अन्य व्यवसायियों से भी उक्तानुसार स्थिति ज्ञात की जाये।

(5) यह भी ज्ञात किया जाये कि इनके वेतन का भुगतान किस वेतनमान में हो रहा है और इनको क्या–क्या सुविधाएं अनुमन्य हैं। पी0एफ0/ई0एस0आई0 की क्या स्थिति है।

(6) वाहन के रख–रखाव हेतु इनके पास क्या–क्या अवस्थापकीय सुविधाएं उपलब्ध हे।

(7) निजी आपरेटर्स को जो परमिट जारी किये जाते हैं वें निजी वाहन स्वामियों को निर्गत किये जाते हैं, न कि कम्पनी के नाम से। अतः वाहन स्वामी, कम्पनी में किस प्रकार सम्बद्ध है। अर्थात क्या वें कम्पनी के अधिकारी हैं अथवा सदस्य या अन्य किसी रूप में ?

(8) भविष्य में प्रत्येक मार्ग पर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह भी विचार किया जाना होगा कि सैट आफ रूट्स के स्थान पर एकल मार्ग परमिट जारी करने पर विचार किया जाए।

उपरोक्तानुसार दो असमरूप आपरेटर्स में केवल किराये की दरों में समानता का प्रश्न उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकरण द्वारा सभी मामलों पर विचार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सूचनाएं सम्बन्धित से प्राप्त की जाये। सूचनाएं प्राप्त होने पर पूर्ण तथ्यों के साथ मामले पर विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की पृथक से बैठक आहूत की जाये। सभी सम्बन्धित से उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर पृथक बैठक आहूत करने तक निम्न गणना के आधार पर यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निर्धारित की जांये :–

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्ष 2010	वेटेज	वर्ष 2008	2008 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	अभ्युक्ति

1	डीजल पर व्यय न्यूनतम 4500 किमी0 प्रति त्रैमास संचालन के आधार पर कुल दूरी 18000 (3.50 किमी0 प्रतिलीटर के आधार पर – 5143 लीटर)	208188.64		187205.20		पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर वाहनों द्वारा न्यूनतम संचालन 4500 किमी0 प्रति त्रैमास के आधार पर करों का भुगतान किया जा रहा है। तद्नुसार गणना में 4500 किमी0 को आधार बनाया गया है।
	मोबाईल ऑयल पर व्यय	5300.00		4320.00		लगभग प्रत्येक 5000 किमी0 पर मोबिलायॅल परिवर्तित किया जाता है।
	योग	**213488.64**	**46.9**	**191525.20**	**10.94**	
2	टायरों पर व्यय	54000.00		48000.00		पर्वतीय क्षेत्रो में लगभग 20,000 किमी पर टायरों को परिवर्तित किया जाता है।
3	स्पेयर पार्ट्स पर व्यय	9000.00		9000.00		स्पेय पार्ट्स का एक वर्ष का अनुमानित व्यय, जैसा कि आवेदकों द्वारा बताया गया।
4	डैप्रीसिएशन	50000.00		50000.00		चॅूकि अधिकतर वाहनें अधिक पुरानी है अतः ह्रास 10 प्रतिशत से कम रखा गया है।
5	इंश्योरेन्स पर व्यय	22413.00		22000.00		एक वर्ष का अनुमानित व्यय, जैसा कि आवेदकों द्वारा बताया गया।
	योग	**135413.00**	**29.8**	**129000.00**	**4.65**	
6	चालक का वेतन	60000.00		48000.00		वर्तमान बाजार दर पर लगभग 5000.00 प्रति माह।
7	परिचालक का वेतन	36000.00		30000.00		वर्तमान बाजार दर पर लगभग 3000.00 प्रतिमाह
8	बोनस	9600.00		7800.00		चालक/परिचालक को बोनस वेतन का 10 प्रतिशत अनुमानित।
	योग	**105600.00**	**23.3**	**85800.00**	**23.07**	
	महायोग	**454501.64**		**406325.20**		

वेटेज के अनुसार वृद्धिः– (वेटेज को राउण्ड आफ करते हुए)

त्र 0ण्4 ग 10ण्94. 0ण्3 ग4ण्65. 0ण्3ग23ण्07

त्र 4ण्376. 1ण्395. 7ण्11

त्र 12ण्88 : वत 13 : ैलद्ध

वर्ष 2008 से अब तक डीजल के मूल्य में 11.20 प्रतिशत के साथ–साथ अन्य मदों में हुयी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये उक्त गणना के आधार पर सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों (नगर बस सेवा को छोड़कर) के यात्री किराये एवं माल भाड़े की दरों में 13 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तद्नुसार वर्ष 2008 में जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या–3068/एसटीए/ दस–1/2008 दिनांक 11–11–2008 का अतिक्रमण करते हुये नया यात्री किराया/माल भाड़े की दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1– मंजिली गाड़ी (स्टैज कैरिज) के यात्री किराये की दरें :–

वाहन/परमिट का प्रकार	मार्ग/क्षेत्र	मार्ग की श्रेणी	पूर्व में निर्धारित किराया प्रति यात्री प्रति किमी0 अधिकतम् किराये की दर (पैसों में)	वर्तमान में निर्धारित किराया प्रति यात्री प्रति किमी0 अधिकतम् किराये की दर (पैसों में)
मंजिली वाहनें स्टेज कैरेज परमिट	मैदानी मार्ग	क	48.30	54.58
		ख	55.20	62.38
	पर्वतीय मार्ग	कोलतार वाली सड़कें	69.41	78.43
		अन्य सड़कें	78.94	89.20
रिजर्व पार्टी परमिट	मैदानी मार्ग		60.72	68.61
	पर्वतीय		90.80	102.60

	मार्ग			
एक्सप्रेस वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.10 गुना			
सेमी डीलक्स वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.25 गुना			
डीलक्स वाहनें	उपरोक्त दरों का 1.70 गुना			

1— उपरोक्त विर्निदिष्ट दरें निम्नलिखित के अधीन होगीः—

(एक)— पूर्व में किसी भी दशा में प्रतियात्री 230.00 पैसे से कम नहीं लिया जायेगा, के स्थान पर वर्तमान में 260.00 पैसे से कम किराया नहीं लिया जायेगा।

(दो)— किसी यात्री द्वारा देय कुल किराये की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे कि0मी0 से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा और आधा कि0मी0 और उससे अधिक का भाग एक कि0मी0 में माना जायेगा।

(तीन)— मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही जो, यथा स्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ी पर लगाई गई हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया जा सकेगाः—

(चार)— किराया की धनराशि सौ पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी अर्थात इक्यावन पैसे या इससे अधिक के भाग को सौ पैसा गिना जायेगा और इक्यावन पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(पॉच)— किराये के अलावा यात्रियों से उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम—2003 के प्राविधानों के अधीन कोई कर अथवा अतिरिक्त कर नहीं वसूल किया जायेगा।

2– ऑटो रिक्शा, विक्रम टैम्पो के यात्री किराये की दरें :–

वाहन का प्रकार	पूर्व में निर्धारित किराया प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिये।	वर्तमान में निर्धारित किराया प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिये।
टैम्पो	रूपये–5.18	रु0 6.00
ऑटो रिक्शा	रूपये–6.00 तथा न्यूनतम किराया दर रू0–17.00 निर्धारित करते हुए रात्रि सेवा 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संचालित ऑटो रिक्शा के लिए 25 प्रतिशत् अतिरिक्त किराये में वृद्धि।	रूपये–7.00 तथा न्यूनतम किराया दर रू0–17.00 निर्धारित करते हुए रात्रि सेवा 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संचालित ऑटो रिक्शा के लिए 25 प्रतिशत् अतिरिक्त किराये में वृद्धि।
टिप्पणी– (1) टैम्पो का तात्पर्य तीन पहियों वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर छः सीटें हों। (2) आटो–रिक्शा का तात्पर्य तीन पहियों वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर दो या तीन सीटें हों।		

3– मोटर कैब के यात्री किराये की दरें :–

वाहन का प्रकार	पूर्व में निर्धारित किराया प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिये।	वर्तमान में निर्धारित किराया प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिये।
टैक्सी कैब (टैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिए वाली गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चालक को छोड़कर अधिक से अधिक छः	1–रूपये–8.00 एवं प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए रू0–115.00 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–6.00 2–नगर निगम/नगर पालिका सीमा में	1–रूपये–9.00 एवं प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए रू0–130.00 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–7.00 2–नगर निगम/नगर पालिका सीमा में

यात्रियों को वहन करने के लिए निर्मित है।	संचालित होने वाली वातानुकूलित टैक्सी कैब का न्यूनतम किराया प्रथम कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 100.00 एवं साधारण टैक्सी कैब के लिए रू0 80.00 तत्पश्चात् प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 8.00	संचालित होने वाली वातानुकूलित टैक्सी कैब का न्यूनतम किराया प्रथम कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 113.00 एवं साधारण टैक्सी कैब के लिए रू0 90.00 तत्पश्चात् प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 9.00
टैक्सी कैब का तात्पर्य 04 पहिया वाली गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर चालक को छोड़कर अधिक से अधिक 06 यात्रियों को वहन करने के लिए निर्मित है।		

4– मैक्सी कैब (ठेका बस) वाहन के यात्री किराये की दरें:–

मैदानी क्षेत्र के मार्गो के लिये (प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये)			**पर्वतीय क्षेत्र के मार्गो के लिये** (प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये)	
पूर्व निर्धारित किराया (रुपये में)		**वर्तमान निर्धारित किराया (रुपये में)**	**पूर्व निर्धारित किराया (रुपये में)**	**वर्तमान निर्धारित किराया (रुपये में)**
मैक्सी	रु0 12.65	रु0 14.30	रु0 13.23	रु0 14.95
मैक्सी कैब के लिए प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए पूर्व में रू0– 175.00 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–12.00 था, जो वर्तमान में प्रतीक्षा भाड़ा 8 घण्टे या उससे कम के लिए पूर्व में रू0– 197.75 तथा 8 घण्टे से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये रूपये–13.56				
मैक्सी कैब को छोडकर 20 या उससे कम सीट वाली वाहनें	रु0 14.08	रु0 15.91	रु0 17.53	रु0 19.81

21–41 सीट वाली वाहनें	रु0 21.05	रु0 23.79	रु0 25.19	रु0 28.46
42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनें	रु0 25.19	रु0 28.46		
डीलक्स बस	रु0 30.50	रु0 34.46	रु0 30.50	रु0 34.46
वातानुकूलित बस	रु0 35.26	रु0 39.84	—	—
कच्चे मार्गो पर अतिरिक्त भाडा	रु0 6.97	रु0 7.88	रु0 6.97 परन्तु डीलक्स बसों और अन्य मोटरयानों की दरें क्रमशः न्यूनतम रूपया 209.52 तथा 157.99 होंगी, जिसमें प्रतीक्षा भाड़ा सम्मिलित नहीं है।	रु0 7.88 परन्तु डीलक्स बसों और अन्य मोटरयानों की दरें क्रमशः न्यूनतम रूपया 236.76 तथा 178.53 होंगी, जिसमें प्रतीक्षा भाड़ा सम्मिलित नहीं है।
प्रतीक्षा भाड़ा	**8 घण्टे या उससे कम के लिए**		**प्रति अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिये**	
यदि बस प्रस्थान स्थल से 15 किमी0 से अधिक दूरी पर जाती है	रू0 345.00	रु0 390.00	रू0 23.00	रु0 26.00
15 किमी0	——	——	रू0 55.00	रु0 62.00

से कम दूरी के लिये				

परन्तु यदि बस प्रस्थान करने के स्थान से 15 कि0मी0 तक की दूरी के लिए किराये पर ली जाय तो प्रतीक्षा भाड़ा प्रति घण्टा या उसके भाग के लिए पूर्व में रू0 53.36 था, जो वर्तमान में रू0–60.30 की दर से लगाया जायेगा।

परन्तु यह कि एक घण्टे का समय बस में चढ़ने और उतरने के लिए दिया जायेगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

टिप्पणीः–(1) औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोगार्थ दिनों की संख्या की संगणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जायेगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जायेगा।

(2) चौबीस घण्टे के दिन की संगणना उस समय से की जायेगी जब से बस किराये या पारिश्रमिक के लिए बुक की गई हो।

(3) किराये के अलावा यात्रियों से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम–2003 के प्राविधानों के अधीन कोई कर अथवा अतिरिक्त कर नहीं वसूल किया जायेगा।

5– माल वाहन की भाड़े के किराये की दरेंः–

माल वाहन के माल भाड़े की दर तथा रोक लेने के प्रभार (क्पेजंदजपवद बिंतहम) को यथा सम्भव राउन्डिंग द्वारा पूर्ण अंकों में परिवर्तित कर नया माल भाड़ा निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्षेत्र/मार्ग	पूर्व में निर्धारित भाडे की अधिकतम दरें	वर्तमान में निर्धारित	रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चार्ज)

	प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 (पैसों में)		भाड़े की अधिकतम दरें प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0 (पैसों में)			पूर्व में	वर्तमान में
मैदानी मार्ग	रु0 15.00		रु0 17.00	(1) 37.32 कुन्तल तक भार ले जा सकने की क्षमता वाली वाहन के लिये प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये		रु0 106.00	रु0 120.00
				(2) 37.32 कुन्तल से अधिक		रु0 159.00	रू0–180.00
				परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 219.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 426.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।		परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 247.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 481.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।	
पर्वतीय मार्ग (दोनों ओर से यातायात वाले कोलतार के मार्ग)	क वर्ग वाले माल	रु0 28.00	रु0 32.00	(1) 37.32 कुन्तल तक भार ले जा सकने की क्षमता वाली वाहन के लिये प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये	1) 37.32 कुन्तल तक भार ले जा सकने की क्षमता वाली वाहन के लिये प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये	रू0 106.00	रु0 120.00

	ख वर्ग वाले माल	रु0 31.00	रु0 35.00	(2) 37.32 कुन्तल से अधिक परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये–219.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये–426.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।	(2) 37.32 कुन्तल से अधिक परन्तु यदि रोक लेने का समय मिलाकर क्रमांक (1) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये– 247.00 एवं (2) पर अंकित वाहन की प्रतिदिन की औसत आय रूपये–481.00 हो तो रोक लेने का प्रभार नहीं लिया जाएगा।	रू0–159.00	रु0 180.00
पर्वतीय मार्ग (एक ओर से यातायात वाले कोलतार के मार्ग)	क वर्ग वाले माल	रु0 31.00	रु0 35.00				
	ख वर्ग वाले माल	रु0 36.00	रु0 41.00				
बिना कोलतार के मार्ग	क वर्ग वाले माल	रु0 33.00	रु0 37.00				
	ख वर्ग वाले माल	रु0 36.00	रु0 41.00				
परन्तु पिथौरागढ, चमोली, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी के जिलों में देय भाडा उल्लिखित दरों से 20 प्रतिशत् अधिक होगा।							
''क'' वर्ग के माल– खाद्यान्न और खाद्य सामग्री जिसके अन्तर्गत नमक, चीनी, गुड़, मसाला, तरकारियॉ, फल, मछली, मांस, अण्डे, कोयला, जलाने की लकड़ी और मिट्टी का तेल भी है।							
''ख'' वर्ग के माल– उपर्युक्त ''क'' वर्ग के अन्तर्गत आने वाले मालों को छोड़कर अन्य समस्त माल।							

पर्वतीय मार्गों का आशय वही होगा जो उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर–दो के स्पष्टीकरण (9) में परिभाषित है। उक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगीं।

6– नगर बस सेवा के किराये की दरें :–

(i) वर्ष 2005 से वर्ष 2008 में निजी नगर बसों के किराये के स्लैब (संइ) में वृद्धि के समय न्यूनतम किराये में वृद्धि नहीं की गयी थी।

(ii) स्टैज कैरिज की बसें प्रायः नगर सीमा से बाहर लम्बी दूरी पर संचालित होती हैं, जबकि नगर बसें नगर के भीतर भीड़ भाड़, संकरे कम दूरी के मार्गों पर संचालित होती हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में संचालित होने पर ईंधन की खपत लम्बी दूरी की वाहनों की तुलना में नगर बसों में अधिक होती है। अतः स्टैज कैरिज एवं बसों के लिए किराये की दरें निर्धारित एवं वृद्धि एक ही फार्मुले के आधार पर किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

(iii) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर बसों के लिए निर्धारित यात्री किराये की दरों में न्यूनतम स्लैब को (01 कि0मी0 बढ़ाते हुये) 04 कि0मी0 तक बढ़ाकर प्रत्येक कि0मी0 के लिए रु0 1.00 प्रति कि0मी0 की दर से पूर्व में निर्धारित यात्री किराये से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या–3038/एसटीए/दस–1/2008 दिनांक 11–11–2008 का अतिक्रमण करते हुये डीजल एवं अन्य मदों में हुयी वृद्धि के फलस्वरूप नगर बसों का नया यात्री किराया निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

केवल निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 25 कि0मी0 से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ी के लिए किराये की दरेंः–

नगर पालिका /नगर निगम क्षेत्र की सीमा के भीतर संचालित वाहनों के सम्बन्ध में भाड़े की दरें	**पूर्व में दूरी का विवरण**	**पूर्व में निर्धारित किराया (प्रति यात्री रुपये में)**	**वर्तमान में दूरी का विवरण**	**वर्तमान निर्धारित किराया (प्रति यात्री रुपये में)**
	1 कि0मी0 से 3 कि0मी0 तक	**3.00**	1 कि0मी0 से 4 कि0मी0 तक	**4.00**
	3 कि0मी0 से 6 कि0मी0 तक	**5.00**	4 कि0मी0 से 7 कि0मी0 तक	**7.00**
	6 कि0मी0 से 9 कि0मी0 तक	**6.00**	7 कि0मी0 से 10 कि0मी0 तक	**9.00**
	9 कि0मी0 से 15 कि0मी0 तक	**9.00**	10 कि0मी0 से 13 कि0मी0 तक	**11.00**
	15 कि0मी0 से 20 कि0मी0 तक	**12.00**	13 कि0मी0 से 16 कि0मी0 तक	**13.00**
	20 कि0मी0 से 25 कि0मी0 तक	**15.00**	16 कि0मी0 से 19 कि0मी0 तक	**15.00**
			19 कि0मी0 से अधिक	**18.00**
उपरोक्त किराये के अलावा यात्रियों से उत्तराखण्ड कराधान सुधार अधिनियम–2003 के प्राविधानों के अधीन कोई कर अथवा अतिरिक्त कर वसूल नहीं किया जायेगा।				

उपरोक्त सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं माल–भाड़े की दरों को क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाय तथा यात्री किराये एवं माल भाड़े की दरों को सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ इस आशय् की विज्ञप्ति को साधारण गजट में प्रकाशित किया जाय। उक्त यात्री किराये एवं माल–भाड़े की दरों को जनसुविधार्थ वाहनों में चस्पा करने हेतु सम्बन्धित वाहन यूनियनों/वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाय तथा मार्ग चैकिंग के दौरान जिन वाहनों में यात्री किराये/माल–भाड़े की दरें चस्पा न की गई हों तो उनके परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में दिये गये प्राविधानानुसार निरस्त/निलम्बन की कार्यवाही की जाय। यात्री किराये/माल–भाड़े की नई निर्धारित दरें गजट के प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेंगी।

संकल्प संख्या–08

मद संख्या–08 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2001 के संकल्प संख्या–20 में पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के लिए निर्धारित मापदण्ड़ों में संशोधन करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–641/स0प्रशा0/यात्रा–2010/2010 दिनांक 29–05–2010 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश जो तकनीकी संवर्ग के अधिकारी हैं, प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित होने वाली बसों के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस, ओवरहैंग, समग्र चौड़ाई में संशोधन हेतु निम्न सुझाव दिये गयेः–

1– **वाहन की चौड़ाई–** उत्तराखण्ड के सम्भागों में वाहनों की चौड़ाई अधिकतम 234 इंच निर्धारित की गई है, जबकि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–93(1) में वाहन की अधिकतम चौड़ाई 260 से0मी0 अनुमन्य है। इस विषय में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि निम्नलिखित कारणों से वाहनों की चौड़ाई अधिकतम 250 से0मी0 किया जा सकता है।

(ए) उत्तराखण्ड में चलने वाली वाहनों में काफी संख्या टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित वाहनों की है। टाटा मोटर्स की वाहनों में 166 इंच व्हीलबेस की वाहन की चौड़ाई 98 इंच होती है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों पर निर्धारित मानकों के लिये इस वाहन को 92 इंच चौड़ा होना चाहिए, इसके लिये वाहन की बॉडी दोनों

ओर से 3–3 इंच कम करनी पड़ती है, जिससे निर्माता के डिजायन पर प्रभाव पड़ता है। कम्पनी द्वारा निर्मित बॉडी को दोनों ओर काटने से बॉडी की मजबूती में कमी आती है, क्योंकि बॉडी काटने पर इसकी बॉडी स्थानीय बॉडी मेकर्स से बनवानी पड़ती है।

(बी) दोनों ओर से बॉडी की चौड़ाई कम कर देने से वाहन के चालक के बैठने का स्थान पर्याप्त न होने के कारण वाहन संचालन में भी असुविधा होती है। परिणामस्वरूप चालक द्वारा वाहन चलाने सम्बन्धी कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(सी) हिमाचल प्रदेश राज्य, जो कि पर्वतीय राज्य है, वहां पर भी वाहनों की अधिकतम चौड़ाई 250 से0मी0 निर्धारित है।

(डी) पर्वतीय मार्गों पर वाहनों की चौड़ाई के संबंध में यह भी संज्ञान में लिया जाना उपयुक्त होगा कि पर्वतीय मार्गों पर माल वाहन के बड़े–बड़े ट्राले भी संचालित हो रहे हैं, जिनकी चौड़ाई 9 से 9.6 फीट तक होती है और यह वाहनें पहाड़ी मार्गों पर निरन्तर सुगमता पूर्वक संचालित हो रही हैं।

(ई) यात्री वाहनों में यदि वाहन की चौड़ाई कम रखी जाती है तो वाहन की सीटों के साथ बीच की गैलरी में स्थान कम हो जाता है, जिससे यात्रियों को चढ़ने, उतरने एवं मूवमेन्ट में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2– **वाहन की लम्बाई (ओवरहैंग)–** वर्तमान में उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों में पर्वतीय मार्गों हेतु वाहन का ओवरहैंग अधिकतम 50 प्रतिशत निर्धारित है। इस सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा निम्नलिखित कारणों से ओवरहैंग बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया है :–

(ए) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में वाहन का ओवरहैंग अधिकतम 60 प्रतिशत तक होने का प्राविधान है।

(बी) पर्वतीय मार्गों पर मार्गों के रख–रखाव को ध्यान में रखते हुये समय–समय पर वाहन के ओवरहैंग को अधिकतम की सीमा के अन्तर्गत निर्धारण किया जा सकता है।

(सी) वर्ष 1978 में पर्वतीय मार्गों हेतु वाहन का ओवरहैंग 45 प्रतिशत निर्धारित था, जो कि बाद में 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03 मार्च, 2001 में एकरूपता के दृष्टिगत इसे सभी सम्भागों के लिये 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई एवं रख–रखाव में निरन्तर सुधार हुआ है। प्राधिकरण की उक्त बैठक में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–91 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ओवरहैंग 60 प्रतिशत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(डी) 166 इंच व्हीलबेस की बसों के लिये सामान्यतः 41 सीटें बनायी जाती हैं, परन्तु ओवरहैंग 50 प्रतिशत है तो ऐसी स्थिति में सीटें लगाने के लिये उपलब्ध लम्बाई कम रह जाती है। वाहन की लम्बाई कम रहने से सीटों में बैक टू बैक स्पेश निर्धारित मानकों के अनुसार 70 से0मी0 नहीं आ पाता है। इससे यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है और घुटने आगे की सीट से टकराते हैं। यदि बैक टू बैक स्पेश नियमानुसार रखा जाय तो इसमें 5 सीटें कम बनती हैं। सीट कम बनने से देय राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में केवल देहरादून सम्भाग की वाहनों का आंकलन करने पर लगभग 15 लाख रूपये राजस्व हानि प्रत्येक वर्ष होने की सम्भावना बनती है।

(ई) उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की वाहनें उत्तराखण्ड के पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुये आती हैं, इन सभी वाहनों का ओवरहैंग 55–60 प्रतिशत के बीच है। इस प्रकार राज्य में न चाहते हुये भी दोहरी

व्यवस्था चल रही है। उत्तराखण्ड में पंजीकृत वाहनों का ओवरहैंग 50 प्रतिशत रखा जा रहा है। हिमाचल से आने वाली बसें 55 प्रतिशत ओवरहैंग के साथ संचालित हो रही हैं। यद्यपि 50 प्रतिशत ओवरहैंग सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है, लेकिन आज की पर्वतीय मार्गो की सुधरी स्थिति को देखते हुये उसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

(एफ) विभिन्न निर्माताओं के द्वारा जो वाहनें बॉडी सहित विक्रय की जा रही हैं, उन सभी वाहनों का ओवरहैंग मोटरयान नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 60 प्रतिशत है। इस तरह की कई वाहनें विभिन्न कार्यालयों में पंजीकृत हुई हैं और पर्वतीय मार्गों पर संचालित हो रही हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून जो प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित थे, के द्वारा भी लिखित एवं मौखिक रूप से उपरोक्त बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गयी तथा उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु वर्तमान में 190 इंच व्हीलबेस के स्थान पर 195 इंच करने के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये :–

देहरादून–मसूरी मार्ग की सड़कें अन्य पर्वतीय मार्गों की तुलना में उपयुक्त हैं। मार्ग की दोनों ओर चौड़ाई आदि की स्थिति अन्य मार्गों की तुलना में अच्छी है। जिस प्रकार कुमांऊ सम्भाग में टनकपुर–पिथौरागढ़–धारचूला, हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान, भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर क्रमशः 195, 218 एवं 205 इंच व्हीलबेस के वाहनों को अनुमन्य किया गया है। उसी प्रकार देहरादून–मसूरी मार्ग की स्थिति को देखते हुये इस मार्ग पर संचालित बसों का व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच करने पर विचार किया जा सकता है।

प्राधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश जो तकनीकी संवर्ग के अधिकारी हैं, के तर्कों को सुना गया एवं उनके द्वारा लिखित प्रस्ताव पर गम्भीरता से

विचार किया गया एवं विचारोपरान्त राज्य में निर्मित मार्गों की दशा में दिन–प्रतिदिन सुधार के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2 प्रस्तर–;गगपपद्ध, धारा–74 की उपधारा–2 के प्रस्तर–;पगद्ध एवं धारा–76 की उपधारा–3 के प्रस्तर–;पपपद्ध दी गयी व्यवस्थानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2001 के संकल्प संख्या–20 में पर्वतीय मार्गों पर संचालित यात्री बसों के पूर्व में निर्धारित मापदण्ड़ों में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया जाता है :–

(1) देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलबेस अनुमन्य किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों की अधिकतम चौड़ाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 अनुमन्य की जाती है।

(3) प्रदेश के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के लिए पूर्व में ओवरहैंग 50 प्रतिशत निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग को मार्गों की दशा में सुधार के दृष्टिगत 50 के स्थान पर 60 प्रतिशत ओवरहैंग करने हेतु दिये गये सुझावों एवं अतिरिक्त निदेशक, परिवहन, प्रबन्ध निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या–12.1;480द्धडपेबए बवततमेचध्2006.अवस.प्ः24504 दिनांक 05–07–2010 द्वारा प्राप्त आख्या पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त जोड़ लगाकर चैसिस को बढ़ाकर 60 प्रतिशत नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन करने हेतु प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया जाय।

संकल्प संख्या–09

मद संख्या–09 के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर के टनकपुर–ग्वालियर वाया बरेली–आगरा मार्ग के लिए प्राप्त 02 स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के सम्बन्ध में निगम के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। प्राधिकरण द्वारा निगम के प्रतिनिधि को सुनने एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–6 में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–86/पग/2010/06/2008 दिनांक 30–04–2010 जारी हो जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार पर बनी सहमति का अनुपालन करते हुये मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर को मद में उल्लिखित टनकपुर– ग्वालियर वाया बरेली–आगरा अन्तर्राज्यीय मार्ग का एक–एक स्थायी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों, सामान्य शर्तों एवं करार में दी गयी शर्तो के साथ सम्बन्धित राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग के लिए प्रतिहस्ताक्षर की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय सीमा समाप्त हो जाने पर स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

संकल्प संख्या–10

श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ धार्मिक स्थल होने तथा इन धार्मिक स्थानों में देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मद संख्या–10 के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में आवेदकों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर उनके प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्रस्ताव को सुनने के पश्चात् मामले पर विचार करते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद में वर्णित आवेदक श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ग्यासी लाल, श्री अशोक कुमार पड़लिया, पुत्र श्री पिताम्बर दत्त पड़लिया, श्री खजान चन्द्र पुत्र श्री राधा बल्लभ, श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, श्री जीवन सती पुत्र श्री मोहन सती, श्री उमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री अम्बादत्त जोशी, श्री सुधान सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, प्रेमबल्लभ जोशी पुत्र श्री नरोत्तम जोशी, श्री रिजवान पुत्र श्री अब्दुल रहमान, पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दीनानाथ अग्रवाल, श्री हबीबुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान, श्री अतिकुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान, श्री हफिजुर्र रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान, श्री निसार अहमद पुत्र श्री मौ0 हारून, श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री दयाकिशन एवं श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री पूर्णानन्द पाण्डेय को एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों, सामान्य शर्तों एवं मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं अनाधिकृत संचालन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। स्वीकृत परमिट पॉच वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जांय तथा प्रश्नगत मार्ग पर जारी किए गये परमिट धारकों द्वारा अपनी वाहनों का संचालन मार्ग पर पूर्व से संचालित वाहनों के साथ रोटेशन से किया जायेगा एवं उन्हीं के समान अतिरिक्त कर जमा किया जायेगा। सभी परमिट जारी हो जाने के पश्चात् मार्ग यूनियन को संशोधित समय–सारिणी प्रस्तुत करने एवं संशोधित समय–सारिणी प्राप्त होने के पश्चात समय–सारिणी यात्रियों के

सुविधार्थ प्रत्येक वाहन में चस्पा करने हेतु निर्देशित किया जाय। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–11

मद संख्या–11 के परिशिष्ट– **'क' एवं 'ख'** एवं **बैठक की तिथि तक प्राप्त** समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। मोटरकैब यूनियन के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत् कराया कि उक्त प्रकार की वाहनें प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं से वित्त पोषित् कराकर क्रय की जाती हैं। इन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट जारी करने का प्रतिबन्ध होने के कारण आवेदकों को यथा समय परमिट न मिलने पर आर्थिक क्षति के साथ–साथ वाहनों के ऋण की अदायगी करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है वहीं राज्य को मिलने वाले राजस्व की भी हॉनि होती है। वाहन स्वामियों को स्थाई परमिट की अपेक्षाकृत अस्थाई परमिट प्राप्त करने में बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद के परिशिष्ट–**'क' एवं 'ख'** एवं **बैठक की तिथि तक प्राप्त** सभी प्रार्थियों को निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 में दी गई व्यवस्थानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर, की शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र में उल्लिखित तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–12

मद संख्या–12 के परिशिष्ट– **'ग', 'घ', 'च'** एवं **बैठक की तिथि तक प्राप्त** समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत् कराया कि उक्त प्रकार की वाहनें प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं से वित्त पोषित् कराकर क्रय की जाती हैं। इन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट जारी करने का प्रतिबन्ध होने के कारण आवेदकों को यथा समय परमिट न मिलने पर आर्थिक क्षति के साथ–साथ वाहनों के ऋण की अदायगी करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है, वहीं राज्य को मिलने वाले राजस्व की भी हॉनि होती है। वाहन स्वामियों को स्थाई परमिट की अपेक्षाकृत अस्थाई परमिट प्राप्त करने में बहुत अधिक आर्थिक हॉनि उठानी पड़ती है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद के परिशिष्ट–**'ग', 'घ' 'च'** एवं **बैठक की तिथि तक प्राप्त** सभी प्रार्थियों एवं बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गये आवेदकों द्वारा निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 एवं 80 में दिये गये प्राविधानानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर की शर्तों के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता

है। प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जाऐगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र में उल्लिखित तिथि से की जाऐगी।

संकल्प संख्या–13

मद संख्या–13 के परिशिष्ट **'छ'** में वर्णित देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाडी परमिटों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया।

पुकारने पर श्री अतुल सिंघल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि देहरादून– विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग है। इस मार्ग का हरर्बटपुर से शाकुम्बरी देवी तक का भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, वह शाखा मार्ग है। उत्तराखण्ड गठन के पश्चात उक्त मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण वर्ष 2005 में सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा किये गये हैं। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य परिवहन करार लम्बित होने के कारण मार्ग यूनियन एवं परमिट धारकों के अनुरोध पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठकों दिनांक 28–02–2009 एवं 23–10–2009 में उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तर प्रदेश राज्य के मार्ग भाग को छोड़कर उत्तराखण्ड की सीमा तक किया गया है। इसी प्रकार हमारे परमिटों का नवीनीकरण भी कर दिया जाय। मार्ग के ऑपरेटर श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की गयी रिट पिटीशन संख्या–201/2009 में जो स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं। वह आदेश मार्ग पर नये परमिट जारी न

करने के सम्बन्ध में हैं, न कि नवीनीकरण के सम्बन्ध में। उनके द्वारा परिशिष्ट में उल्लिखित सभी 11 परमिट धारकों की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न निवेदन किया गया है:–

1– यह कि वर्ष 2000 के बाद उत्तराखण्ड बनने के पश्चात् हमारे मार्ग की सभी वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण सन् 2005 तक आर0टी0ए0 के द्वारा निर्विवाद रूप से किया जाता रहा है।

2– विगत वर्ष 2009 राज्य प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 तथा 23–10–2009 में भी हमारे मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण बिना किसी विवाद के किया जाता रहा है।

3– यह कि हमारे द्वारा अपने वाहनों का संचालन विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से हरबर्टपुर से शाकुम्बरी देवी नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा बस संचालन उत्तराखण्ड में पड़ने वाले भाग में किया जा रहा है।

4– यह कि कथित याचिका संख्या–201/2009 जमशेद अली बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश केवल उपरोक्त मार्ग पर नये परमिट ग्रान्ट करने के विरूद्ध दायर की गई है, उस याचिका से देहरादून–विकासनगर डाकपत्थर मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

5– यह की न्याय हित में यह आवश्यक है कि देहरादून–विकासनगर डाकपत्थर मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड में पड़ने वाले भाग के लिए कर दिये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रेमनगर जीप कमाण्डर ट्रैकर यूनियन की ओर से उनके अधिवक्ता श्री वी0पी0बहुगुणा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा देहरादून–प्रेमनगर–विकासनगर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण नहीं करने का अनुरोध किया गया तथा इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत है :–

1— यह कि देहरादून से डाकपत्थर मार्ग एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है। उक्त मार्ग पर राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत किये गये परमिटों के नवीनीकरण हेतु आज एस0टी0ए0 कार्यालय में बैठक आहुत की गयी है। जिन बस वाहन मालिक के परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण केवल इस दशा में किया जा सकता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—88(1) व (5) में वर्णित शर्तो प्राविधानों के अनुसार किसी भी अन्तर्राज्यीय मार्ग पर दोनों राज्यो के परस्पर सहमति हो तथा उनके बीच तमबपचतवबंस ंहहतममउमदज होना चाहिये तथा निर्गत परमिट पर दोनों राज्यों के प्रतिनिधी के हस्ताक्षर होने चाहिये।

2— यह कि उक्त प्रावधानों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यर्थी श्री जमशेद अली में माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख एवं विशेष अपील संख्या 201/2009 दाखिल की गयी है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के खण्ड पीठ ने अपने अन्तरिम आदेश में यह उल्लेख किया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण अन्तर्राज्यीय मार्ग, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई पारस्परिक सहमति तमबपचतवबंस ंहहतममउमदज ना हो जाये तब वह उक्त मार्ग के परमिट के सम्बन्ध में कोई निर्णय ना ले।

3— यह कि वर्तमान में भी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक और याचिका सं0—1149/2010 प्रशान्त जयसवाल बनाम राज्य के नाम दाखिल की गई, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने भी उक्त आदेशों की पुनर्रावृत्ति करते कोई भी निर्णय ना लेने का उल्लेख किया है।

4— यह कि बस वाहन स्वामी देहरादून—विकासनगर—डाकपत्थर मार्ग पर अपने पुराने परमिटों का नवीनीकरण चाहते हैं। परन्तु उक्त मार्ग मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पारित हैं। जिनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति/अधिकारी का कर्तव्य है।

5— यह कि जिन वाहनों के परमिटों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों का संचालन तुरन्त बंद कराया जाये।

6— यह कि देहरादून—डाकपत्थर मार्ग चलने वाले वाहनों को परमिटों का नवीनीकरण माननीय न्यायालय के अगले/अन्तिम आदेशों तक न किया जाये।

यदि उक्त मार्ग पर चलने वाले वाहनों का नवीनीकरण केवल उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक (उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मार्ग भाग को छोड़कर) के लिये किये जाने का कोई प्रावधान हो तो इस दशा में राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को वाहनों के परमिटों के नवीनीकरण हेतु अधिकृत किया जाये तथा वह परमिट अन्तर्राज्यीय ना हो।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि देहरादून से डाकपत्थर मार्ग (अन्तर्राज्यीय मार्ग) पर पूर्व में निर्गत हुए परमिटों का नवीनीकरण किया जाना मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों का सरासर उल्लघंन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त मार्ग में पारित स्थगन आदेशों की अवहेलना होगी। इसलिये देहरादून—डाकपत्थर मार्ग पर किसी भी परमिट का नवीनीकरण ना किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत मार्ग के परमिट धारकों एवं प्रेमनगर जीप कमाण्डर ट्रैकर यूनियन के अधिवक्ता श्री वी0पी0 बहुगुणा द्वारा दिये गये तर्को को विस्तार से सुना गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—88 की उपधारा (1) व (5) में दी गयी व्यवस्थानुसार पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण परमिट धारको को आर्थिक हाँनि से बचाने एवं रोजगार के दृष्टिगत मार्ग यूनियन/परमिट धारकों के अनुरोध पर उक्त मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों का नवीनीकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28—02—2009 एवं 23—10—2009 में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा (**उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग को छोड़कर**) तक किया गया था। भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना

संख्या–एस0ओ0ई0–1233 दिनांक 27–10–2003 के अनुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों का संचालन **''जो जैसा है, जहां है''** (। पे ूीमतम पे इंपे) के आधार पर किया जा रहा है।

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिट धारकों द्वारा प्रश्नगत मार्ग पर रिट याचिका संख्या–1748/2009, 1749/2009, 1763/2009 दायर की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुये दिनांक 22–10–2009 को निरस्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22–10–2009 के विरूद्ध याचिकाकर्ता श्री जमशेद अली द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है। जिसमे मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–

च्तपउं बिपमए पज ंचचमंते जींज पद जीम ंइेमदबम वि तमबपचतवबंस ंहतममउमदज इमजूममद जीम ैजंजम वि न्जजंतींी जीम ैजंजम वि न्ण्च्ण ेतमुनपतमक नदे 88;1द्ध ंदक ;5द्ध वि जीम डवजवत टमीपबसमे ।बजए 1988ए जीम ंकअमतजपेमउमदज पेनमक वित पदअपजपदह ंचचसपबंजपवदे वित हतंदज वि चमतउपज वद जीम तवनजमए दंउमसलए क्मीतंकनद.टपोंदंहंत.कं च्जींत ंदक पजे ंससपमक तवनजमे ंचचमंते जव इम ूपजीवनज रनतपेकपबजपवद ब्वदेमुनमदजसलए जपसस जीम दमगज कंजम वि सपेजपदहए जीम ैजंजम ज्तंदेचवतज ।नजीवतपजल तमेचवदकमदज छवण्2 पे तमेजतंपदमक तिवउ हतंदजपदह ंदल चमतउपज वद क्मीतंकनद.टपोंदंहंत.कं च्जींत ंदक पजे ंससपमक तवनजमे नदसमे जीमतम मगपेजे तमबपचतवबंस ंहतममउमदज इमजूममद जीम ैजंजम न्जजंतींंद क ैजंजम वि न्ण्च्ण

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 206 कि0मी0 है। इस मार्ग का तिमली से शाकुम्बरी देवी वाया बेहट मार्ग का भाग सहारनपुर सम्भाग **(उत्तर प्रदेश)** में पड़ने से यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग में परिभाषित है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित है। वहीं दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में अपने

आदेश दिनांक 26–10–2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर रोक लगायी गयी है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

अतः मद संख्या–13 में उल्लिखित स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1072/115, 1524, 1521, 1526/75, 1537/87, 1538, 1541/72, 1543, 1546, 1547 एवं 1775 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने पर मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–14

मद संख्या–14 में उल्लिखित देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 एवं 1487 के स्वीकृत नवीनीकरण के समय बढ़ाने के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से विचार किया गया विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर दिनांक 26–10–2009 में रोक लगायी गयी है, जो अभी प्रभावी है।

अतः प्रश्नगत मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 एवं 1487 के नवीनीकरण के समय बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। मामले को उक्त स्पेशल अपील में मा0 न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने पर प्राधिकरण के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–15

(1) मद संख्या–15 के अन्तर्गत परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक**–1** में वर्णित देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 जिस पर वाहन संख्या–यूके07पीए–0501 मॉडल 2009 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचंद निवासी 613, राजेन्द्र नगर, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2915/एसटीए/दिनांक 31–10–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु परमिट धारक का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया, पुकारने पर प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जो चालान किया गया है, उस समय स्कूल की छुट्टी का समय था यदि बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता है। तो वे चालक, परिचालक के साथ गाली–गलौच तथा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसी बीच मेरे बच्चे का हाथ कट जाने से मैं बच्चे के इलाज के लिए बाहर था। गाड़ी की देखभाल नहीं कर सका और भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परमिट धारक द्वारा प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पीटिशन संख्या–1188/2010 श्री विवेक कुमार टण्डन तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 13–07–2010 के अनुपालन में परमिट संख्या–278 पर संचालित वाहन संख्या–यूके07पीए–0501 के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी है। जिसके कारण मैं वाहन का संचालन नहीं कर रहा हूँ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि रिट पिटीशन संख्या–1188/2010 में पारित आदेश दिनांक 13–07–2010 के अनुपालन में देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग के परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 पर संचालित वाहन संख्या–यूके07पीए–0501 का संचालन करने पर मा0 न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। अतः उक्त परमिट के विरूद्ध धारा–86 के मामले को मा0 न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। मामले पर मा0 न्यायालय के अंतिम आदेश प्राप्त हो जाने पर मामले को धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचार एवं आदेश हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(2) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–2 में वर्णित रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–53 जिस पर वाहन संख्या–यूए04ए–7126 मॉडल 2003 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री भुवन चन्द्र तिवारी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ तिवारी, निवासी रानीखेत रोड़, रामनगर, नैनीताल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–981/एसटीए/पीएसटीपी–53/2008 दिनांक 12–05–2008 द्वारा नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि मेरे द्वारा वाहन में पेट्रोल पम्प से डीजल भरवाया गया था। डीजल भरवाने के उपरान्त भतरौंजखान के पास उप जिलाधिकारी, सल्ट द्वारा ईंधन के नमूने की जांच के पश्चात् ईंधन में मिलावट होने की पुष्टि होने पर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जो न्यायालय

के विचाराधीन है। उनके द्वारा कार्बेट पार्क फीलिंग स्टेशन, रामनगर से वाहन में भरवाये गये डीजल के रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये वाहन को जारी किया गया परमिट संख्या–पीएसटीपी–53 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में भरे गये ईंधन में मिलावट पाये जाने के कारण जिलापूर्ति अधिकारी की संस्तुति एवं मिलावटी ईंधन से सम्भावित जान–माल की हानि एवं परमिट शर्तो के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट संख्या–पीएसटीपी–53 को **निरस्त किया जाता है।** परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रवर्तन/पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हुये परमिट धारक से निरस्त परमिट जमा कराया जाय। प्राधिकरण के निर्णय से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया जाय।

(3) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–3 में वर्णित रामनगर–बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–72 जिस पर वाहन संख्या–यूपी01–1266, मॉडल 1992 संचालित थी, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री खजान चन्द्र पड़लिया पुत्र श्री राधा बल्लभ पड़लिया, निवासी पनपौला, भिक्यिासैंण, अल्मोड़ा को इस कार्यालय के पत्र संख्या–799/एसटीए/पीएसटीपी–72/2008 दिनांक 21–04–2008 द्वारा नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08–05–2008 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि वाहन

स्वामी का किसी प्रकार का दोष नहीं है। उन्हें झूठा फंसाया गया है, तेल में मिलावट पेट्रोल पम्प मालिक द्वारा की गयी थी। उसके विरूद्ध जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जिला सत्र न्यायालय, अल्मोड़ा ने वाहन स्वामी को अभियुक्त बनाया है। जिसमें प्रार्थी की जमानत हो चुकी है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी, सल्ट के द्वारा वाहन में भराये गये ईंधन के नमूनों की जांच के सम्बन्ध में की गयी आख्या पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला जिला सत्र न्यायालय, अल्मोड़ा में विचाराधीन होने के कारण धारा–86 की कार्यवाही के मामले को स्थगित रखा जाता है। प्रकरण पर मा0 जिला सत्र न्यायालय, अल्मोड़ा के अन्तिम आदेश पारित होने पर मामले को पुनः धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाय।

(4) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक**–4** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट संख्या–4 जिस पर वाहन संख्या–यूपी07एल–9212, मॉडल–2000 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी ग्रा0 व पो0 बडोनवाला, डोईवाला, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या–04/एसटीए/सूचना/2009 दिनांक 31–12–2009 को धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक उपस्थित हुये। परमिट धारक द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उनकी वाहन 09 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। अब वे उक्त परमिट को निरस्त कराना चाहते हैं। प्राधिकरण ने प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों एवं वाहन स्वामी द्वारा

प्रस्तुत किये गये तर्क पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने व ओवरलोडिंग की बार–बार पुनरावृत्ति करने से सम्भावित दुर्घटना से जान–माल की हॉनि एवं परमिट शर्तों के उल्लंघन के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए **परमिट संख्या–04 को निरस्त** किया जाता है। परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रवर्तन/पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हुए परमिट धारक से निरस्त परमिट जमा कराया जाय। प्राधिकरण के निर्णय से सर्वसम्बन्धित को अवगत् कराया जाय।

(5) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**5** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट संख्या–338 जिस पर वाहन यूए12–3955, मॉडल–2004 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री बचन सिंह रावत पुत्र श्री शेर सिंह रावत, निवासी ग्राम बस्यूड़, देवराजखाल, पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–856/एसटीए दिनांक 15–04–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि परिशिष्ट में अंकित चालानों का जो भी जुर्माना है, मैं उसे जमा करने को तैयार हूँ। भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक को सुनने एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक्

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 में की गयी धारा–86 की कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुये वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–338 के धारक से चालानों का रूपया **8,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(6) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**6** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट संख्या–361 जिस पर वाहन यूए01–0947, मॉडल–2002 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री महिपाल सिंह बिष्ट पुत्र श्री पी0एस0बिष्ट निवासी भूजान, जिला अल्मोड़ा को इस कार्यालय के पत्र संख्या–3217/एसटीए दिनांक 01–12–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी उपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हल्द्वानी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने

एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–361 के धारक से चालानों का रूपया **10,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(7) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**7** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट संख्या–1204 जिस पर वाहन यूपी07एल–9563, मॉडल–2000 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री नन्दादत्त बड़थ्वाल पुत्र श्री गिरजादत्त बड़थ्वाल, निवासी ग्राम बड़ेथ, पो0 ग्वील (सिलोगी), पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–860/एसटीए दिनांक 15–4–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए चालान का भुगतान करने का अनुरोध किया है। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि परिशिष्ट में अंकित चालानों का जो भी प्रशमन देय है मैं जमा करने को तैयार हूॅ। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक को सुनने के पश्चात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के

अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–1204 के धारक से चालानों का रूपया **8,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(8) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक**–8** में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–314 जिस पर वाहन संख्या–यूए12–6808, मॉडल–2006 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री अनुप कुमार खड़कवाल पुत्र श्री ज्योति प्रसाद, निवासी सिताबपुर, देवी रोड़, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1375/एसटीए दिनांक 22–05–2010 को धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियागो पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने व ओवरलोडिंग की बार–बार पुनरावृत्ति करने से सम्भावित दुर्घटना से जान–माल की हॉनि एवं परमिट शर्तों के उल्लंघन के अभियोग में वाहन चालक के

साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए **परमिट संख्या–314 को निरस्त** किया जाता है। परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रवर्तन/पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हुए परमिट धारक से निरस्त परमिट जमा कराया जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से सर्वसम्बन्धित को अवगत् कराया जाय।

(9) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**9** में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–6152 जिस पर वाहन यूए07एस–9674, मॉडल–2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी 13/11, बॉडी गार्ड, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या–430/एसटीए दिनांक 09–03–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थी अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–6152 के धारक से चालानों का रूपया **4,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने

पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(10) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**10** में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–6247 जिस पर वाहन यूए07एस–1319, मॉडल–2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूकम सिंह, निवासी ग्रा0 अमपुर काजी, पो0 इकबालपुर, हरिद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या–90/एसटीए दिनांक 12–01–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। प्रार्थी पुकारने पर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि परमिट निरस्त न किया जाय। भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक द्वारा दिये गये तर्क एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–6247 के धारक से चालानों का रूपया **10,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता

से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(11) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**11** में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–974 जिस पर वाहन यूए02–0482, मॉडल–2002 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री धन सिंह, निवासी कपकोट, बागेश्वर को इस कार्यालय के पत्र संख्या–3040/एसटीए दिनांक 16–11–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पिथौरागढ़ एवं थाना इंचार्ज, पुलिस, सोमेश्वर, अल्मोड़ा द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–974 के धारक से चालानों का रूपया **8,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के

अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(12) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**12** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–1081 जिस पर वाहन यूए07ई–5948, मॉडल–2003 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह, निवासी ग्राम फलासी, रूद्रप्रयाग को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1369/एसटीए दिनांक 22–05–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–1081 के धारक से चालानों का रूपया **10,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने

पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(13) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**13** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–2545 जिस पर वाहन यूए12ए–1942, मॉडल–2006 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री नौबार सिंह नेगी पुत्र श्री उम्मेद सिंह नेगी, निवासी ग्राम नौली, पो0 तोली, पट्टी–कपोलस्यूँ, जिला पौड़ी गढवाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1339/एसटीए दिनांक 18–05–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्धारित प्रशमन शुल्क को जमा करने का अनुरोध किया गया। पुनः दिनांक 12–07–2010 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार एवं पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 में धारा–86 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–2545 के धारक से चालानों का रूपया **8,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु

सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(14) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**14** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–3972 जिस पर वाहन यूए12–8660, मॉडल–2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री हंस राम, निवासी ग्राम सिम्मलचौड़, पो0 पदमपुर, पौड़ी गढ़वाल के ओवरलोडिंग के **02** चालान होने पर परमिट धारक को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1942 दिनांक 13–07–2010 द्वारा प्राधिकरण की बैठक के दौरान 30–07–2010 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक उपस्थित हुये, उन्हें प्राधिकरण द्वारा क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में चालान होने के कारण परमिट निरस्त करने हेतु कहा गया। परमिट धारक ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि परमिट निरस्त के स्थान पर प्राधिकरण द्वारा जो भी प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जायेगा। उसे मैं जमा करने को तैयार हूँ तथा भविष्य में ओवरलोडिंग की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक के तर्को एवं प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–3972 के धारक से चालानों का रूपया **16,000–00** की एक निश्चित राशि

जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(15) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**15** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–4370 जिस पर वाहन यूके12टीबी–0140, मॉडल–2008 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री विरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्रास्टनगंज, निम्बूचौड़, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढवाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1134/एसटीए दिनांक 01–05–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–4370 के धारक से चालानों का रूपया **6,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट

निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(16) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**16** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–4415 जिस पर वाहन यूके12टीए–0133, मॉडल–2008 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री महावीर सिंह नेगी पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी निकट पैट्रोल पम्प, कोटद्वार रोड़, पौड़ी गढवाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2874/एसटीए दिनांक 26–10–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–4415 के धारक से चालानों का रूपया **15,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(17) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**17** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–4967 जिस पर वाहन यूपी11एन–3573, मॉडल–2005 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी नजीबाबाद रोड़, नया गांव, कोटद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या–72/एसटीए दिनांक 19–01–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया कि चालानों का जो भी प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जायेगा, वह मैं जमा करने के लिए तैयार हूँ तथा भविष्य में ओवरलोडिंग की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक को सुनने एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–4967 के धारक से चालानों का रूपया **10,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

(18) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'ज'** के क्रमांक–**18** में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिट संख्या–353 जिस पर वाहन यूपी 78टी–9055, मॉडल–2001 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री प्रेम चन्द्र पुत्र श्री बिसम्बर सिंह, निवासी मकान नं0–78, सुल्तानपुर, आदमपुर, तह0 लक्सर, हरिद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1377/एसटीए दिनांक 22–05–2010 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। पुनः दिनांक 12–07–2010 को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक उपस्थित हुये। वे प्राधिकरण को चालानों के सम्बन्ध में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सके। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक को सुनने एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–353 के धारक से चालानों का रूपया **20,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को भी अवगत कराया जाय।

संकल्प संख्या–16 अन्य मद

अन्य मद–16 (1) –

अन्य मद संख्या–1 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में दिये गये प्राविधानानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साइकिलों को उन व्यक्तियों को, जो अपने उपयोग के लिए मोटर साइकिल चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के व्यापार और उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमित करने के लिए **''मोटर साइकिल किराया योजना (स्कीम), 1997''** बनायी गयी है, जो दिनांक 12–05–1997 से प्रभावी है। उक्त योजना में दिये गये प्राविधानानुसार मोटर साइकिलों को किराये पर देने के सम्बन्ध में लाईसेंस प्राप्त करने से सम्बन्धित श्री रणजीत सिंह छाबड़ा एवं श्री सत्य प्रकाश सोलंकी के प्रत्यावेदनों को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री रणजीत सिंह छाबड़ा व श्री सत्य प्रकाश सोलंकी को पुकारा गया। पुकारने पर श्री रणजीत सिंह छाबड़ा पुत्र श्री गुरूचरन सिंह छाबड़ा, निवासी 582/1, लक्ष्मणझूला रोड़, ऋषिकेश प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा आदि में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मोटर साइकिल किराये पर देने का लाईसेंस निजी संस्थाओं/आपरेटरों को दिये जा रहे हैं। पर्यटक दिल्ली आदि स्थानों से मोटर साइकिल किराये पर लेकर उक्त योजना का लाभ उठाते हुये अन्य राज्यों के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हैं। यदि अन्य राज्यों की भांति हमें भी प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत मोटर साइकिल किराये पर देने के लिए लाईसेंस दिया जाता है तो हम भी देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को उत्तराखण्ड राज्य के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक मोटर साइकिल के माध्यम से यातायात सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदक को उक्त योजना के बिन्दु संख्या–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु जो प्रक्रिया दी गयी है, वह सभी प्रपत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

उक्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर मुझे मोटर साइकिल किराये पर देने हेतु लाईसेंस जारी कर दिया जाय। प्राधिकरण द्वारा लाईसेंस जारी करने पर बिन्दु संख्या–5 के खण्ड (5) में दिये गये प्राविधानानुसार 05 मोटर साइकिलों हेतु धारा–74 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड का परमिट प्राप्त कर लूंगा तथा प्राधिकरण द्वारा जो भी शर्त निर्धारित की जायेगी उनका पालन करूंगा।

प्राधिकरण ने **''मोटर साइकिल किराया योजना, 1997''** के बिन्दु संख्या–4, 5 एवं 8 में दी गयी शर्तो एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना का लाभ महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा आदि शहरों की भांति उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया जाता है। **''मोटर साइकिल किराया योजना, 1997''** उत्तराखण्ड राज्य में लागू करने से पूर्व दिल्ली एवं गोवा राज्यों में संचालित योजना का परीक्षण किया जाय। परीक्षणोपरान्त पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुये मामले पर परिचालन अथवा प्राधिकरण की नियमित बैठक में स्वीकृति आदेश प्राप्त कर लिये जांय। उक्त योजना हेतु प्राप्त 02 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें से श्री सत्य प्रकाश सोलंकी का आवदेन पत्र अपूर्ण होने के कारण केवल श्री रणजीत सिंह छाबड़ा का आवेदन पत्र को उक्त योजना के लागू होने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।

<u>अन्य मद–16 (2)</u> –

अन्य मद संख्या–2 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब परमिट संख्या–2481 जिस पर वाहन संख्या–यूए08–9390 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त चालान दिनांक 02–01–2009 को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु परमिट धारक श्री

राजकुमार सैनी पुत्र श्री सूर्यकान्त सैनी, निवासी ग्राम करतारपुर, हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण के समक्ष आवदेन पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि चालान का निस्तारण बैठक में कर दिया जाय।

प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक की प्रार्थना एवं प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गंभीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परमिट शर्तो का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट संख्या–2481 के उक्त चालान पर रूपया **5,000–00** प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है तथा प्रशमन शुल्क जमा करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। भविष्य के लिए परमिट शर्तो के उल्लघंन के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट को निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामी को सचेत करते हुये प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों एवं वाहन स्वामियों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक की तिथि 11–10–2010 निर्धारित की गयी।

(जतिन्द्र पाल सिंह चड्ढ़ा)
सदस्य

(ललित मोहन)
सदस्य।

(प्रेम सिंह खिमाल)
सदस्य।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।